Business Standard

(33) (325)

Dated 14-03-2018

CAG raps HSIIDC for not utilizing acquired land worth Rs 4,488 crore

Press Trust of India | Chandigarh March 14, 2018 Last Updated at 17:40 IST

The Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation has been rapped by government auditor CAG for not utilizing acquired land worth about Rs 4,488 crore and failing to boost micro, small and medium enterprises.

A report on public sector undertakings for the year 2016-17 was tabled in state Assembly today.

According to the findings of the performance audit on 'Acquisition of Land, Development of Industrial Estates and their Management' by HSIIDC, the company, which is the nodal agency for development of infrastructure and industrialization in the state, has not prepared any perspective plan for acquisition and development of land for balanced industrial development is the state.

The Comptroller and Auditor General of India report also observed that HSIIDC failed to boost the micro, small and medium enterprises sector as per the requirements of the industrial policy.

"Land measuring 7,542.76 acres valuing Rs 4,488.86 crore acquired between January 2006 and April 2013 has not yet been taken up for development of Industrial Estates," as per CAG report.

The land so acquired by HSIIDC was for several purposes including development of phase V of Industrial model township in Manesar, setting up of SEZ at Gurgaon, 2100 MW gas based power plant at Bahadurgarh and industrial township in Sonipat.

In the report, the government auditor also found that the company acquired 26,796 acres of land till March 2017 and out of which, 24,760 acres fall in the NCR.

"Out of the land acquired in NCR, as much as 7,542.76 acres has not been taken up for development," it noted while observing that inadequate planning coupled with implementation issues resulted in poor implementation of industrial policy which failed to give boost to MSMEs.

As per report, the company also incurred extra expenditure of Rs 742.92 crore and Rs 112.61 crore in acquisition of land due to delay in filling of appeals in court and application of incorrect rates, respectively, it said.

There was also delay in execution of development works and against the leviable Liquidated Damages (LD) of Rs 19.34 crore, the company levied LD of Rs 5.86 crore only, leaving a shortfall of Rs 13.48 crore, report said.

Business Standard

Dated 14-03-2018 (34) 323

Shortcomings in implementation of Swachh Bharat Mission in some Hry municipalties

Press Trust of India | Chandigarh March 14, 2018 Last Updated at 21:05 IST

There have been shortcomings in the implementation of Swachh Bharat Mission in some municipalities in Haryana as households having insanitary latrines were not targeted to provide toilets, a CAG report said today.

There was shortfall in coverage of households for construction of toilets and even the toilets which were constructed were incomplete in a number of cases, it said.

As per the CAG report 2016-17 tabled in the Haryana Assembly here today, 12 municipalities including in Panchkula, Hodal, Narnaul and Sampla had identified only those households which did not have toilets, but households having insanitary latrines and single pit latrines were neither identified nor targeted for coverage under the mission.

Households having insanitary toilets were not identified in 12 test-checked municipalities and public toilets were not constructed in 23 municipalities, the report said, adding the survey was not conducted as per guidelines and eligible households remained deprived of the benefits of the mission.

In six municipalties, assistance for construction of individual household latrines was released to 3,429 beneficiaries.

The audit observed that out of 3,429 beneficiaries, incentives of Rs 180 cr were released to 2,571 beneficiaries without verification of their genuineness, which was in contravention of the guidelines.

Further, only partial incentives were released to 2,192 beneficiaries in urban areas and 1,364 beneficiaries in rural areas. Cases of double/triple payments of incentive were also observed.

"Release of incentives without verification entails risk of payment of incentives to ineligible households as during physical verification of 130 beneficiaries in these municipalities, it was found that 4 beneficiaries were provided incentives although they already had sanitary toilets.

"Besides, 11 beneficiaries could not be located at specific addresses," the report said.

Meanwhile, on the working of Maharishi Dayanand University at Rohtak, the performance audit of the university brought out lack of planning, deficiencies in financial management, non-enforcement of infrastructure and academic standards in affiliated colleges, manpower and infrastructure deficiencies in the classes which impaired the ability of the university to achieve its overall objectives, the CAG report said.

235

21

DAILY POST
15-03-2018

CAG raps HSIIDC for not utilising acquired land worth ₹4,488 cr

THE GOVERNMENT AUDITOR ALSO FOUND THAT THE COMPANY ACQUIRED 26,796 ACRES OF LAND TILL MARCH 2017 AND OUT OF WHICH, 24,760 ACRES FALL IN THE NCR.

DP **CORRESPONDENT**
Chandigarh

The Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation has been rapped by government auditor CAG for not utilising acquired land worth about Rs 4,488 crore and failing to boost micro, small and medium enterprises. A report on public sector undertakings for the year 2016-17 was tabled in state Assembly on Wednesday. According to the findings of the performance audit on 'Acquisition of Land, Development of Industrial Estates and their Management' by HSIIDC, the company, which is the nodal agency for development of infrastructure and industrialization in the state, has not prepared any perspective plan for acquisition and development of land for balanced industrial development is the state.

The Comptroller and Auditor General of India report also observed that HSIIDC failed to boost the micro, small and medium enterprises sector as per the requirements of the industrial policy. 'Land measuring 7,542.76 acres valuing Rs 4,488.86 crore acquired between January 2006 and April 2013 has not yet been taken up for development of Industrial Estates,' as per CAG report. The land so acquired by HSIIDC was for several purposes including development of phase V of Industrial model township in Manesar, setting up of SEZ at Gurgaon, 2100 MW gas based power plant at Bahadurgarh and industrial township in Sonipat. In the report, the government auditor also found that the company acquired 26,796 acres of land till March 2017 and out of which, 24,760 acres fall in the NCR.

'Out of the land acquired in NCR, as much as 7,542.76 acres has not been taken up for development,' it noted while observing that inadequate planning coupled with implementation issues resulted in poor implementation of industrial policy which failed to give boost to MSMEs. As per report, the company also incurred extra expenditure of Rs 742.92 crore and Rs 112.61 crore in acquisition of land due to delay in filling of appeals in court and application of incorrect rates, respectively, it said. There was also delay in execution of development works and against the leviable Liquidated Damages (LD) of Rs 19.34 crore, the company levied LD of Rs 5.86 crore only, leaving a shortfall of Rs 13.48 crore, report said.

SWACHH BHARAT MISSION

CHANDIGARH: There have been shortcomings in the implementation of Swachh Bharat(SB) Mission in some municipalities in Haryana as households having insanitary latrines were not targeted to provide toilets, a CAG report said on Wednesday.

There was shortfall in coverage of households for construction of toilets and even the toilets which were constructed were incomplete in a number of cases, it said. As per the CAG report 2016-17 tabled in the Haryana Assembly here on Wednesday, 12 municipalities including in Panchkula, Hodal, Narnaul and Sampla had identified only those households which did not have toilets, but households having insanitary latrines and single pit latrines were neither identified nor targeted for coverage under the mission.

Households having insanitary toilets were not identified in 12 test-checked municipalities and public toilets were not constructed in 23 municipalities, the report said, adding the survey was not conducted as per guidelines and eligible households remained deprived of the benefits of the mission.

In six municipalties, assistance for construction of individual household latrines was released to 3,429 beneficiaries.

The audit observed that out of 3,429 beneficiaries, incentives of Rs 180 cr were released to 2,571 beneficiaries without verification of their genuineness, which was in contravention of the guidelines DP

HIGHLIGHT

- *In six municipalties, assistance for construction of individual household latrines was released to 3,429 beneficiaries.*

TIMES OF INDIA
15-03-2018

(22) (233)

CAG raps industry body for not using acquired land

LAGGING | CAG report said HSIIDC failed to boost micro, small and medium enterprises sector as per the requirements of industrial policy of the state

Chandigarh: The Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation (HSIIDC) has been rapped by the Comptroller and Auditor General of India (CAG) for not utilising acquired land worth about Rs 4,488 crore and failing to boost micro, small and medium enterprises.

A report on public sector undertakings for the year 2016-17 was tabled in state Assembly on Wednesday.

According to the findings of the performance audit on 'Acquisition of Land, Development of Industrial Estates and their Management' by HSIIDC, the company, which is the nodal agency for development of infrastructure and industrialisation in the state, has not prepared any perspective plan for acquisition and development of land for balanced industrial development in the state.

The government auditor's report also observed that HSIIDC failed to boost the micro, small and medium enterprises sector as per the requirements of the industrial policy.

"Land measuring 7,542.76 acres valuing Rs 4,488.86 crore acquired between January 2006 and April 2013 has not yet been taken up for development of industrial estates," the CAG report said.

The land thus acquired by HSIIDC was for several purposes including development of Phase 5 of Industrial model township in Manesar, setting up of a special economic zon (SEZ) at Gurgaon, a 2,100 MW gas-based power plant at Bahadurgarh and an industrial township in Sonipat.

In the report, the government auditor also found that the company acquired 26,796 acres of land till March 2017, out of which, 24,760 acres fall in the NCR.

"Out of the land acquired in NCR, as much as 7,542.76 acres have not been taken up for development," it noted, while observing that inadequate planning coupled with implementation issues resulted in poor implementation of industrial policy which failed to give boost to MSMEs.

The report said the company also incurred extra expenditure of Rs 742.92 crore and Rs 112.61 crore in acquisition of land due to delay in filling of appeals in court and application of incorrect rates, respectively. PTI

(23)

ECONOMIC TIMES
15-03-2018

(231)

CAG Raps HSIIDC for Not Utilising Acquired Land Worth ₹4,488 Cr

Press Trust of India

Chandigarh: The Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation (HSIIDC) has been rapped by government auditor CAG for not utilising acquired land worth about ₹4,488 crore and failing to boost micro, small and medium enterprises.

A report on public sector undertakings for the year 2016-17 was tabled in state Assembly on Wednesday. According to the findings of the performance audit on 'Acquisition of Land, Development of Industrial Estates and their Management' by HSIIDC, the company, which is the nodal agency for development of infrastructure and industrialisation in the state, has not prepared any perspective plan for acquisition and development of land for balanced industrial development in the state.

The Comptroller and Auditor General of India report also observed that HSIIDC failed to boost the micro, small and medium enterprises sector as per the requirements of the industrial policy.

"Land measuring 7,542.76 acres valuing ₹4,488.86 crore acquired between January 2006 and April 2013 has not yet been taken up for development of Industrial Estates," as per CAG report. The land so acquired by HSIIDC was for several purposes including development of phase V of Industrial model township in Manesar, setting up of SEZ at Gurgaon, 2,100 mw gas-based power plant at Bahadurgarh and industrial township in Sonipat. In the report, the government auditor also found that the company acquired 26,796 acres till March 2017 and out of which, 24,760 acres fall in the NCR.

(24)

INDIAN EXPRESS
15-03-2018

221

MANESAR LAND ACQUISITION

Negligence by state in filing court appeals cost it extra Rs 742 cr: CAG

SUKHBIR SIWACH
CHANDIGARH, MARCH 14

HARYANA STATE Industrial and Infrastructure Development Corporation Limited (HSIIDC) incurred extra expenditure of Rs 742 crore in Manesar land acquisition process "due to delay in filing of appeals in court", a latest report by the Comptroller and Auditor General (CAG) has pointed out. The report was tabled in the Haryana Assembly during ongoing Budget Session on Wednesday.

In 2006, the HSIIDC had acquired 955 acres of land under Section 17 of the Land Acquisition Act at Industrial Model Township, Manesar. The land was acquired at a cost of Rs 176 crore at the rate of 12.5 lakh per acre under the emergency clause.

Later in 2009, the Punjab and Haryana High Court quashed the land acquisition, except in those cases where compensation was accepted by the land owners or petitions were filed after the award of compensation in 2006. In compliance with the court order, the HSIIDC could only acquire 611 acres of land. The CAG report highlights how the legal recourse was not adopted swiftly to make efforts to acquire the remaining land from the 955 acres.

"After quashing of the acquisition of proceedings by the High Court, the company (HSIIDC) was to file appeal in all the cases within the time limit allowed by the court, but it filed appeal in (only) 10 cases in which the court (in 2011) allowed acquisition of another 56.33 acres land," mentioned the CAG report.

The acquisition process to acquire this land (56.33 acres) was completed during October 2013 and September 2016 at the rate of Rs 12.50 lakh per acre. But the company was apparently not quick in taking up the matter related to rest of the land.

"The state government and the company were negligent in pursuing their remedy of appeal and failed to provide appropriate reasons for condoning the inordinate delay in filing the appeals. Further, there was lack of co-ordination between the government and the company as they were filing appeals separately. There was delay of 337 to 415 days in filing appeal in another 19 cases. As a result, the court quashed (in January and September 2011) the acquisition proceedings," said the auditors in the report.

As "the acquired land measuring 668 acres was not in contiguity and could not be taken up for development", the HSIIDC in 2013 decided decided to initiate a fresh procedure to acquire the land — the acquisition proceedings of which had been quashed by the court. In January 2017, it acquired 216 acres of land at a cost of Rs 818 crore. The cost of the land ranged between Rs 1.5 crore to 1.9 crore per acre.

CAG auditors have observed that "had the appeal been filed timely in all cases, the company could have acquired the land at old rate of Rs 12.5 lakh per acre and extra expenditure of Rs 742 crore on 216 acres land could have been avoided".

According to the report, the HSIIDC told the CAG auditors that the "delay was inherent in government working".

"The reply was not acceptable as there was lack of co-ordination between company and state government as both were filing the appeals separately and the very purpose of invoking emergency clause was defeated," concluded the CAG report.

DAINIK TRIBUNE
15-03-2018

229 (25)

खट्टर सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर कैग ने उठाए सवाल

हरियाणा ने लांघी कर्ज लेने की सीमाएं

दिनेश भारद्वाज/ ट्रिन्यू
चंडीगढ़, 14 मार्च

हरियाणा की खट्टर सरकार ने विकास कार्यों एवं वित्तीय प्रबंधन के लिए कर्ज लेने की सीमाओं को लांघ दिया है। सरकार ने तय नियमों से अधिक कर्ज लिया। बेशक, राज्य के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने अपने बजट में यह दावा किया है लोन सीमाओं में रहते हुए लिया है, लेकिन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने अपनी रिपोर्ट में इसे नकार दिया है। यही नहीं, प्रदेश में राजस्व घाटा भी लगातार बढ़ रहा है।

बुधवार को विधानसभा में कैग की रिपोर्ट टेबल हुई। रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि कर्ज के लिए 2.47 फीसदी की सीमा को लांघते हुए सरकार ने 3.22 फीसदी तक पहुंच कर कर्ज लिया है। रिपोर्ट में वित्तीय कुप्रबंधन पर सवाल उठाते हुए बताया गया है कि कई तरह के टैक्सों की वसूली नहीं की गयी और विकास कार्यों के लिए जारी फंड खर्च नहीं हो सके। हालात यह हैं कि 2015-16 की अवधि में कर्जों पर ब्याज की दर ही बढ़कर 27.25 फीसदी तक पहुंच गई। मौजूदा बजट में सरकार ने प्रदेश पर कर्ज का बोझ बढ़कर 1 लाख 61 हजार 159 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान लगाया है। जारी वित्त वर्ष में यह 1 लाख 41 हजार 792 करोड़ रुपये है। कैग ने सरकार के उस तर्क को भी खारिज कर दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि 'उदय' योजना के तहत बिजली निगमों का करीब 30 हजार करोड़ रुपये का ऋण सरकार ने अपने सिर लिया है।

रिपोर्ट में राजकोषीय घाटे पर भी सवाल उठाए गये हैं। 2011-12 तक राजकोषीय घाटे को शून्य पर लाने और 2014-15 तक इसे शून्य बनाए रखने का लक्ष्य था। इसके विपरित 2015-16 में राजकोषीय घाटा 11 हजार 679 करोड़ से बढ़कर 15 हजार 906 करोड़ रुपये तक जा पहुंचा।

राजस्व का 83% वेतन, पेंशन, ब्याज पर खर्च

रिपोर्ट के अनुसार, हरियाणा ग्रामीण विकास निधि के तहत जुटाए गये 2483 करोड़ रुपये समेकित निधि में जमा नहीं कराए गये। सरकार की कमाई का 83 फीसदी हिस्सा कर्मचारियों के वेतन, मजदूरी, ब्याज, पेंशन और अनुदान पर खर्च हो गया। कैग ने इसे भी तय मानकों से अधिक माना है। वहीं, सामान्य सेवाओं पर कम खर्च के कारण पूंजीगत खर्च 45.23 करोड़ रुपये कम हुआ। इसके उलट केंद्र व अन्य एजेंसियों को ब्याज में ही 10 हजार 542 करोड़ रुपये देने पड़े, जो निर्धारित सीमा से कहीं अधिक है।

वसूली में कोताही, 1701 करोड़ का घाटा

कैग रिपोर्ट के अनुसार वैट, राज्य उत्पाद शुल्क, स्टॉम्प ड्यूटी शुल्क, पंजीकरण फीस, माल एवं यात्री कर और वाहनों पर टैक्स की वूसली में लापरवाही बरती गई। इस वजह से सरकारी खजाने में 1701 करोड़ रुपये का घाटा रहा। वैट की रिकवरी में कोताही से 518 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। भूमि पर स्टॉम्प शुल्क के निर्धारण में फर्जीवाड़े के चलते 66 करोड़ 69 लाख रुपये की चपत लगी।

पहली बार लेट टेबल हुई रिपोर्ट

आमतौर पर कैग की रिपोर्ट बजट सत्र के पहले ही दिन सदन में रखी जाती है। यह पहला मौका है, जब सदन की आखिरी बैठक से एक दिन पहले रिपोर्ट टेबल हुई है। पूर्व स्पीकर डॉ. रघुबीर सिंह कादियान ने गत दिवस सरकार की मंशा पर सवाल भी उठाया था।

c m b

225

26

HINDUSTAN TIMES
15-03-2018

COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL REPORTS

'Govt glorified then CM Hooda, spent ₹90 lakh on TV adverts'

IMAGE-MAKING CAG specifically points outs to 2 video clips aired in 2014 on TV channels, eulogising Hooda

HT Correspondent
letterschd@hindustantimes.com

CHANDIGARH: The Haryana government indulged in personal glorification of the then chief minister Bhupinder Singh Hooda by spending over Rs 90 lakh on advertisements for television channels.

The Comptroller and Auditor General (CAG) in its audit report tabled in the assembly on Wednesday said video clips in the name of – 'Hoodaji Ka Haryana' and 'Mhara CM Sahib' – were telecast by various television channels during July-August 2014.

"Both these television clips referred to Haryana government as Hooda ji Ka Haryana and referred specifically to "Hooda" at number of places attributing achievements of the state government to his personal endeavors," the audit report pointed out.

The guidelines on content regulation of government advertising stipulate that advertisement material should be objective and not directed at promoting political interests of ruling parties. It also stipulated that government advertising should maintain political neutrality and avoid glorification of political personalities. It also stipulated that advertisements must not mention the party in power by name or include party symbol, logo or flag.

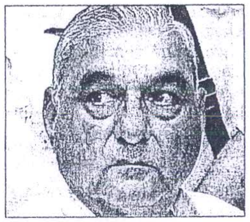

Bhupinder Singh Hooda

The information and public relations department in its reply to the auditors said that television ads were not released for the benefit of any individual but were regarding public welfare scheme and development activities of the government.

"The name of the former chief minister was used being the chief minister of the state. The jingles were not aimed to benefit any individual," the reply said.

The CAG however said that reply was not convincing as the ads projected the government's achievements as a personal endeavor of the former chief minister. This was against the principles laid down by the Supreme Court.

The auditors in their conclusion said that advertisements and publicity campaigns funded from public exchequer should be related to the government's responsibilities and be explicitly directed at informing the public about its programmes, policies, services and initiatives.

'Poor security in state jails, warders not fully trained'

HT Correspondent
letterschd@hindustantimes.com

CHANDIGARH: Jails in Haryana are poorly equipped as far as arms and ammunitions for warders and jail officials are concerned. Also, the warders are not fully trained to handle firearms as they lacked in target practice.

This is bound to have an adverse impact on the security of jails, the Comptroller and Auditor General (CAG) has said while conducting a performance audit of the jails in the state.

In test check of eight jails conducted by the CAG for 2016-17, it was found that there was 70% shortage in terms of availability of pistols and revolvers, and 38% shortage of rifles and guns in the jails.

The Punjab jail manual prescribed that every warder shall be provided with military breech loading fire arms and buckshot ammunition. "About 40 rounds ball, 50 rounds blank and 30 rounds of buckshot (different kinds of ammunitions) were required to be allotted to individual officials.

CAG SAYS JAILS ARE POORLY EQUIPPED AS FAR AS ARMS AND AMMUNITIONS FOR WARDERS AND JAIL OFFICIALS ARE CONCERNED

However, there was a 57% shortage of ball ammunition, 51% shortage of blank and 10% shortage of buckshot ammunition," the auditors said.

Also, the warders were not fully trained to handle security-related exigencies as target practice for them had not been arranged even once between 2012-2016.

Rules provide that all warders should get target practice of 15 rounds on annual basis for handling firearms.

The director general (prisons) during the exit conference said that norms of arms and ammunition were on the higher side. "The reply was not acceptable since the norms as per Punjab jail manual would need to be followed till it is re-visited and amended," the CAG said.

PUTTING HEALTH OF PRISONERS IN DANGER

The audit found that in Narnaul district jail, prisoners suffering from tuberculosis were kept with other prisoners from 2012 to 2016 despite the directions of the DG, prisons, to keep inmates suffering from contagious diseases separately. "This put the health of other inmates in danger. The jail superintendent in his reply said that due to non-availability of additional space in jail, inmates suffering from tuberculosis could not be kept in separate wards," the audit report said.

NON-FUNCTIONAL WALKIE-TALKIE SETS

The auditors found that a large number of 200 walkie-talkie sets, bought by the office of DG, prisons, to ensure better connectivity between the security staff were non-functional. The sets were purchased in 2011 for Rs 33.20 lakhs. "In seven jails checked, 77 sets had become non functional, affecting internal communication between security staff," the CAG said.

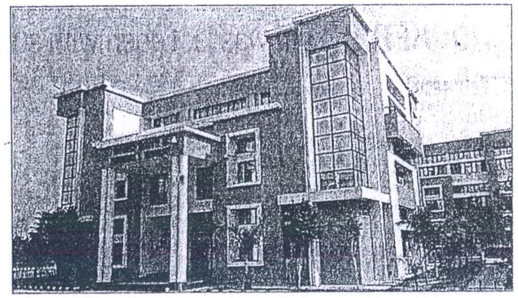

The state government is already under fire for large-scale unemployment. The CAG report adds to its worries. HT FILE

Only 13% engg grads from MDU get jobs, profs barely teach

Hardik Anand
hardik.anand@hindustantimes.com

ROHTAK: Maharshi Dayanand University (MDU), one of the largest state-run universities in Haryana, could ensure jobs for only 13% of its engineering graduates in 2015 and 2016, highlighting a major worry for the state government that is under fire for large-scale unemployment.

A CAG report on MDU tabled in Haryana assembly shows the Rohtak-based university has been deteriorating in quality of education and thus producing a glut of unemployed graduates and postgraduates.

As per the report, out of a batch of 479 students at the University Institute of Engineering and Technology, only 61 (13%) managed to secure jobs in 2016. In 2015, only 76 (13%) out of 579 got placed. The CAG audit observed that the university had resolved to start an interactive web portal for career counselling and placement in 2013 but the same could not be started till date.

Furthermore, the university showed a decline in the pass percentage of students and a jump in drop outs. While the pass percentage of students at CAG-checked departments of the university was 80% in 2013, it dropped to just 61% in 2016. The number of students dropping out from courses jumped from 16% in 2013 to 17% in 2016.

The CAG report said the university did not even bother to analyse these downfalls in pass out rates and placements, thus "not achieving the main objective of the University, that is, to promote and develop interdisciplinary higher education".

Another important point that CAG report highlighted, which could well be the reason for the above downfalls, was that professors at MDU devoted way less time in teaching than they should as per norms.

DAINIK BHASKAR
15-03-2016

(223) (27)

कैग रिपोर्ट में सरकारी नीतियों पर उठे सवाल

विकास निधि से जुटाए 2483 करोड़ रुपए जमा नहीं कराए

भास्कर न्यूज | चंडीगढ़

प्रदेश के सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली और योजनाओं पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट में कहा कि सरकारी परियोजनाओं को पूरा करने में देरी और टैक्स की वसूली में लापरवाही से सरकारी खजाने को बड़ा नुकसान पहुंचा है, जबकि बड़ी योजनाओं के अपेक्षित नतीजे हासिल नहीं हो सके।

बुधवार को सरकार ने सदन में कैग की रिपोर्ट रखी। इसमें 12 शहरों में अस्वच्छ शौचालयों की पहचान नहीं की गई, जबकि 23 शहरों में सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण नहीं हो पाया। 2571 लोगों को बगैर पड़ताल किए शौचालय बनाने के लिए पैसा आवंटित कर दिया गया। हरियाणा ग्रामीण विकास निधि के तहत जुटाए 2483 करोड़ रुपए समेकित निधि में जमा नहीं कराए गए। जबकि सरकार की कमाई का 83 प्रतिशत हिस्सा कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और अनुदान, मजदूरी के अलावा ब्याज पर खर्च हुआ है, जो मानकों से अधिक है। यही नहीं सामान्य सेवाओं पर कम खर्च के कारण पूंजीगत खर्च 45.23 करोड़ रुपए कम हो गया।

केंद्र व अन्य एजेंसियों को ब्याज में ही 10 हजार 542 करोड़ रुपए देने पड़े, जो 14वें वित्त आयोग और मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरणी द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक है। जिला कल्याण अधिकारी झज्जर ने दावों के प्रलेखन और वास्तविकता सुनिश्चित किए बिना, छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में 5.15 करोड़ का भुगतान किया, जिससे 5.15 करोड़ का फर्जी भुगतान किया गया।

स्वच्छ भारत : 23 नपा में नहीं बने शौचालय

स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालयों के निर्माण की समीक्षा में सामने आया कि 12 नपा में अस्वच्छ शौचालयों निवासियों की पहचान नहीं हो सकी। 23 नपा में सामुदायिक और शौचालयों का निर्माण नहीं हो सका। 2571 लाभार्थियों को 1.80 करोड़ की प्रोत्साहन राशि पड़ताल किए बिना जारी कर दिए। शहरी क्षेत्र में 2192 व गांवों में 1364 लाभार्थियों को आंशिक प्रोत्साहन निर्मुक्त किए गए। प्रोत्साहन में दोहरे-तीहरे भुगतान व बंदरबांट के मामले भी सामने आए हैं, शौचालय आधे-अधूरे भी पाए गए। जागरुकता निगरानी और लेखा परीक्षा का अभाव मिला।

सरकार की चूक

- कर वसूली में लापरवाही से 1701 करोड़ की चपत
- सरकारी कंपनियों का 5725 करोड़ का घाटा
- प्रिंटिंग प्रेस का क्षमता से अधिक प्रयोग, 4.53 करोड़ नुकसान
- 92 अनुसंधान प्रोजेक्ट, 37 ही पूरे
- पुलिस हाउसिंग ने नहीं खर्चे 28 करोड़
- ऊंची इमारतों से खतरे में जेल
- 2.86 करोड़ खर्च, पानी नहीं मिला
- दूसरे प्रदेशों में विज्ञापन, 51.52 लाख अधिक का भुगतान
- ड्रेन का काम अधूरा, 3.11 करोड़ रुपए पानी में
- अम्बाला में सीवरेज योजना अधूरी, 16.73 करोड़ खर्च
- सड़कों पर नियमानुसार काम नहीं
- 15.81 करोड़ का ब्याज देना पड़ा
- 157.17 करोड़ से 10 बहुतकनीकी संस्थान अनुमोदित
- हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण: 14.29 करोड़ की बकाया राशि नहीं वसूली गई है
- बिजली निगम भी खरे नहीं उतरे

AMAR UJALA 15-03-2018 (221) (28)

कैग ने खोली सरकार की पोल : मनोहर सरकार ने विपक्ष की मांग पर सदन के पटल पर रखी रिपोर्ट

टैक्स, वैट की वसूली में भ्रष्टाचार से दो हजार करोड़ से ज्यादा की चपत

अमर उजाला ब्यूरो

चंडीगढ़।

वित्तीय प्रबंधन सहित भ्रष्टाचार के मामलों में सुस्त कार्रवाई पर उठाई उंगली

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की वर्ष 2016-17 की रिपोर्ट में सरकारी तंत्र की अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा किया है। इससे सरकारी खजाने को दो हजार करोड़ से ज्यादा की चपत लगी है। 1701 करोड़ की चपत तो कर व शुल्क वसूली में अनियमितताओं और लापरवाही की वजह से लगी है।

बुधवार को विपक्ष की मांग पर सदन में पेश की गई रिपोर्ट ने भ्रष्टाचार पर लगाम के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दावों की हवा निकाल दी है। यही नहीं स्वच्छता अभियानं में भी बिना पड़ताल किए पैसा आवंटित किया गया। कैग की जांच में पाया गया कि टैक्स-वैट के मामलों में घोषणा फार्मों का जमकर दुरुपयोग किया गया। बिक्री का गलत श्रेणीकरण, अवैध दस्तावेजों के विरुद्ध अनुमत कटौतियां, घोषणा फार्मों के बिना ही बिक्री पर कर वसूली व कम वसूली से सरकार खजाने को 518.66 करोड़ रुपये की चपत लगाई गई। डीलरों को रियायती बिक्री की अनुमति देने से 17.37 करोड़ का राजस्व नुकसान हुआ, जबकि 103.27 करोड़ की पेनाल्टी भी नहीं ली गई। कर निर्धारण अधिकारियों ने वैट डी-1 और डी-2 फार्मों के दुरुपयोग के लिए 262.24 करोड़ के अतिरिक्त कर व पेनाल्टी को भी नहीं वसूला। सी फार्म के दुरुपयोग पर लगाई गई 79.35 करोड़ की पेनाल्टी भी नहीं ली गई। 108 अपंजीकृत निर्माण कार्य ठकेदारों व 28 डीलरों ने 247.25 करोड़ के विक्रय छिपाए, जिससे 49.78 करोड़ के टैक्स व पेनाल्टी की राजस्व हानि हुई। 19 मामलों में 83.72 करोड़ का स्टॉक छिपाया गया, जिससे 24.28 करोड़ के टैक्स व पेनाल्टी की हानि हुई।

विधानसभा में वित्त मंत्री की स्पीच के बाद बहस करते कांग्रेसी विधायक।

518 करोड़ रुपये की चपत घोषणा फार्मों के बिना ही बिक्री कर वसूली और कम वसूली से सरकार को लगी

स्टांप अधिनियम का उल्लंघन

आवासीय, वाणिज्यिक अचल संपति, बिक्री, विनिमय, उपहार विलेख और प्राप्त मुआवजे से खरीदी गई भूमि, नगर पालिका सीमा के अंदर व बाहर एक हजार वर्ग गज से कम क्षेत्र की बेची गई कृषि भूमि के मूल्यांकन में भारतीय स्टांप अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। इससे 45.44 करोड़ रुपये की कम स्टांप शुल्क व पंजीकरण फीस वसूली हुई। छह एग्रीमेंट में बिक्री के करार के बजाए संयुक्त करार के रूप में बिक्री दस्तावेजों का गलत उल्लेख कर उन पक्षों को 7 करोड़ 35 लाख रुपये का लाभ दिया गया।

कैग की अन्य टिप्पणियां

1. केंद्र और अन्य एजेंसियों को ब्याज में ही 10 हजार 542 करोड़ रुपये चुकाने पड़े। यह 14वें वित्त आयोग और मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरण को निर्धारित सीमा से काफी अधिक है।
2. कई कल्याणकारी योजनाओं में खानापूर्ति के चलते अपेक्षित नतीजे हासिल नहीं, फैसलों के क्रियान्वयन के तरीके गलत।
3. सामान्य सेवाओं पर कम खर्च के कारण पूंजीगत खर्च 45.23 करोड़ रुपये कम हो गया।''

90 शराब ठेकों को ढील

90 शराब ठेकों से 2015-16 के लिए देय लाइसेंस फीस निर्धारित समय में नहीं वसूली। उप आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने ठेकों को बंद करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इससे लगभग ढाई करोड़ कम वसूली हुई। एक करोड़ 57 लाख का ब्याज भी नहीं लिया गया। लाइसेंस फीस की अंतरिम राशि न वसूलने से भी एक करोड़ 8 लाख रुपये की राजस्व हानि हुई।

स्वच्छता अभियान में भी गड़बड़ी

रिपोर्ट में लिखा है कि स्वच्छता अभियान के तहत 12 शहरों में अस्वच्छ शौचालयों की पहचान नहीं की गई, जबकि 23 शहरों में सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण नहीं हो पाया। 2571 लोगों को बगैर पड़ताल पैसा आवंटित कर दिया गया।

एचएसआईआईडीसी की नीति पर सवाल

एचएसआईआईडीसी भूमि अधिग्रहण और विकास की कोई कारगार नीति बनाने में असफल रहा। पांच सरकारी उपक्रमों ने 1987 के बाद से अपने लेखे तैयार नहीं किए। इनमें लगभग 7429 करोड़ का निवेश हुआ है।

214

29

DAINIK JAGRAN
15-03-2018

परियोजनाओं में देरी और टैक्स वसूली में खामियां

कैग ने विधानसभा में रखी रिपोर्ट, सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली में सुधार की बताई जरूरत

सुधीर तंवर • चंडीगढ़

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने हरियाणा के सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली और योजनाओं पर गंभीर सवाल उठाए हैं। विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने में देरी और करों की उगाही में लापरवाही से सरकारी खजाने को भारी चपत लगी है। कई कल्याणकारी योजनाओं में खानापूर्ति के कारण अपेक्षित नतीजे हासिल नहीं हो सके।

वर्ष 2016-17 की हरियाणा के वार्षिक रिपोर्ट कार्ड पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। बीते रोज ही कांग्रेस विधायक रघुबीर कादियान ने विधानसभा में बजट पेश होने के बावजूद कैग रिपोर्ट सदन में नहीं रखने का मुद्दा उठाया था। बुधवार को सरकार ने सदन में पूरी रिपोर्ट रख दी। वार्षिक रिपोर्ट में कैग ने प्रदेश सरकार की कई योजनाओं और फैसलों के क्रियान्वयन के तरीके पर अंगुली उठाई है।

हरियाणा ग्रामीण विकास निधि के तहत जुटाए गए 2483 करोड़ रुपये समेकित निधि में जमा नहीं कराए गए। सरकार की कमाई का 83 फीसद हिस्सा कर्मचारियों की तनख्वाह, मजदूरी, ब्याज, पेंशन और अनुदान पर खर्च हुई जो निर्धारित मानकों से कहीं अधिक है। सामान्य सेवाओं पर कम खर्च के कारण पूंजीगत खर्च 45.23 करोड़ रुपये कम हो गया। इसके उलट केंद्र व अन्य एजेंसियों को ब्याज में ही 10 हजार 542 करोड़ रुपये देने पड़े जो 14वें वित्त आयोग और मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरणी द्वारा निर्धारित सीमा से कहीं बहुत अधिक है।

बिक्री कर, वैट, राज्य उत्पाद शुल्क, स्टांप शुल्क तथा पंजीकरण फीस, माल एवं यात्रियों पर कर, वाहनों पर टैक्स की वसूली में लापरवाही से सरकारी खजाने को 1701 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। अकेले वैट की कम वसूली से ही 518 करोड़ की चपत लगी।

सरकारी कंपनियों ने दिया 5725 करोड़ का घाटा

प्रदेश की सरकारी कंपनियों (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) ने सरकार को 5725 करोड़ का घाटा दिया। प्रदेश की 31 सरकारी कंपनियों में पांच बंद हो चुकी जबकि 26 में उत्पादन हो रहा है। इनमें से 17 कंपनियों ने 20 लेखे जमा कराए। नौ लेखाओं ने 271 करोड़ का मुनाफा दिखाया, जबकि 11 लेखाओं ने 1107 करोड़ का नुकसान। इसी तरह हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (एचएसआइआइडीसी) भूमि के अधिग्रहण और विकास की कोई कारगार नीति बनाने में असफल रहा। पांच सरकारी उपक्रमों ने 1987 के बाद से अपने लेखे ही तैयार नहीं किए, जबकि इनमें करीब 7429 करोड़ का निवेश किया हुआ है।

बिजली निगमों ने बढ़ाया सरकार का दर्द

कैग रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने बगैर एचईआरसी से मंजूरी लिए मीटर पिलर बॉक्स स्कीम लागू कर दी। एक फर्म को ही प्रोजेक्ट का 65 फीसद काम सौंप दिया गया। प्रोजेक्ट पूरी तरह फेल रहा और कुल माल का 34 फीसद ही परियोजना में इस्तेमाल हो सका।

स्वच्छता अभियान में खानापूर्ति

कैग ने स्वच्छता अभियान को भी घेरे में लिया है। 12 शहरों में अस्वच्छ शौचालयों की पहचान नहीं की गई, जबकि 23 शहरों में सामुदायिक व सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण नहीं हो पाया। 2571 लोगों को बगैर पड़ताल किए ही शौचालय बनाने के लिए पैसा आवंटित कर दिया गया। इस वजह से काफी शौचालय आधे-अधूरे छोड़ दिए।

पीडब्ल्यूडी और मदवि में अव्यवस्थाएं हावी

पीडब्ल्यूडी के 14 प्रोजेक्ट अधूरे हैं जो मई 2014 से मार्च 2017 तक पूरे हो जाने चाहिए थे। वहीं, स्टेट हाईवे को भी निर्धारित मानकों के अनुसार चौड़ नहीं किया गया। कई परियोजनाओं को पूरा करने में अत्यधिक समय लगने से लागत में खासा इजाफा हुआ। दूसरी ओर कैग ने रोहतक स्थित महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में अनियमितताओं पर भी सवाल उठाए हैं। मदवि में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए न तो शैक्षिक योजना बोर्ड का गठन किया गया और 92 अनुसंधान प्रोजेक्टों में से 37 ही पूरे हुए।

(215) AMAR UJALA (30)

खतरे में प्रदेश की जेलों की सुरक्षा, पर्याप्त गोला-बारूद न असलहा

कैग ने हरियाणा विधानसभा में सदन पटल पर रखी अपनी रिपोर्ट में खोली खामियों की पोल

यशपाल शर्मा

चंडीगढ़।

हरियाणा कीजेलों में व्याप्त खामियों को लेकर सरकार की पोल कैग ने वर्ष 2016-17 की अपनी रिपोर्ट में खोल दी है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने विधानसभा में सदन पटल पर बुधवार को रखी अपनी रिपोर्ट में सरकारी विभागों की लचर कार्यप्रणाली, वित्तीय प्रबंधन के साथ ही भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई को लेकर सुस्त रवैये पर भी उंगली उठाई है। रिपोर्ट में कैग ने साफ लिखा है कि हरियाणा की जेलों की सुरक्षा को खतरा है। न तो पर्याप्त असलहा है, न ही गोला बारूद। सुरक्षा उपकरणों की भी कमी है। अनेक जेलों के साथ ऊंची इमारतें और सड़कें हैं, जिससे जेलों को सुरक्षित नहीं माना जा सकता। केंद्र सरकार के आधुनिक कारागार मैनुअल के आधार पर नया जेल मैनुअल भी तैयार नहीं किया गया है। जेलों की क्षमता से अधिक कैदी अनेक जगह पाए गए, तीन जेलें अत्यधिक भरी हुई हैं। जहां जगह उपलब्ध हैं, वहां कैदी स्थानांतरित नहीं किए गए। जिला जेल नारनौल में टीबी ग्रस्त कैदियों को दूसरे कैदियों के साथ रखा गया है। महिला डॉक्टर कम है, व मनोरोग कंसलटेंट की तैनाती नहीं की गई है। 19 जेलों में से 9 में ही कारखाने संचालित हैं। जेलों में सुधारात्मक कार्यों के लिए राज्य सलाहकार बोर्ड व कार्य प्रोग्राम एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड भी गठित नहीं है। कैग ने एक करोड़ 41 लाख रुपये के सरकार धन के दुरुपयोग, जालसाजी के 98 मामले सरकार के संान में लाए। इन पर जून 2017 तक सरकार ने कार्रवाई ही नहीं की। 77 मामले तो पांच साल से अधिक पुराने हैं।

कादियान ने उठाए थे सवाल : वरिष्ठ कांग्रेस विधायक रघुबीर कादियान ने विधानसभा में बजट पेश होने के बावजूद कैग रिपोर्ट सदन में नहीं रखे जाने पर सवाल उठाए थे। इसके बाद बुधवार को सदन में पूरी रिपोर्ट पेश कर दी गई।

मीटर पिलर प्रोजेक्ट फेल : दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने बगैर हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग से मंजूरी लिए मीटर पिलर बॉक्स स्कीम लागू कर दी। एक फर्म को प्रोजेक्ट का 65 प्रतिशत काम सौंपा गया। प्रोजेक्ट पूरी तरह फेल रहा और कुल माल का 34 फीसद ही परियोजना में इस्तेमाल हो सका। पंजीकरण अधिकारियों ने 229.52 करोड़ के वार्षिक औसत किराए के संबंध में लगभग सात करोड़ का कम स्टांप शुल्क वसूला। 619 सार्वजनिक व निजी वाहनों के मालिकों से 47.25 लाख रुपये माल कर की कम वसूली की गई।

एमडीयू की कार्यप्रणाली भी सवालों में : कैग ने एमडीयू रोहतक की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। लघु व लंबी अवधि की विकासकारी योजनाओं को तैयार करने के लिए शैक्षणिक बोर्ड का गठन नहीं किया गया। बकाया धन को सावधि जमा में निवेश न करने पर 51.71 लाख के ब्याज की हानि हुई। अस्थायी अग्रिम के 11.18 करोड़ रुपये असामायोजित हैं। कंप्यूटीकरण के कार्य को पारदर्शी ढंग से आवंटित नहीं किया गया। टेंडर से 26.31 करोड़ का अधिक भुगतान कर दिया गया, बावजूद इसके काम अधूरा पड़ा रहा। 18 से 26 प्रतिशत शिक्षकों के नियमित पद व 52 से 55 प्रतिशत स्वयं वित्त पोषित योजना के पद खाली पड़े हुए हैं। 92 अनुसंधान प्रोजेक्टों में से केवल 37 ही पूरे हुए। अधूरे प्रोजेक्ट में से 21 पूरा होने की निर्धारित तारीख पूरा कर चुके हैं। छात्रों के पास होने की समग्र प्रतिशत 2012-13 में 55 प्रतिशत से कम होकर 2015-16 में 41 प्रतिशत रह गई। चौधरी रणबीर सिंह सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन संस्थान की स्थापना पर किया गया 10.98 करोड़ रुपये का खर्च उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाया।

कैग की कड़ी टिप्पणियां

- परियोजनाओं को पूरा करने में देरी, करों की उगाही में लापरवाही से सरकारी खजाने को चपत।
- सरकार की कमाई का 83 फीसद हिस्सा कर्मचारियों की पगार, पेंशन, मजदूरी, ब्याज व अनुदान पर खर्च हुआ, ये निर्धारित मानकों से कहीं अधिक।
- बिक्री कर, वैट, राज्य उत्पाद शुल्क, स्टांप शुल्क, पंजीकरण फीस, माल एवं यात्रियों पर कर, वाहनों पर टैक्स की वसूली में लापरवाही से सरकारी खजाने को 1701 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
- वैट की कम वसूली से ही 518 करोड़ की चपत।
- जमीन पर स्टांप शुल्क के निर्धारण में फर्जीवाड़े से 66.69 करोड़ का नुकसान।
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने सरकार को 5725 करोड़ का घाटा दिया। 31 सरकारी कंपनियों में पांच बंद हो गईं, जबकि 26 में उत्पादन हो रहा है। 17 कंपनियों ने 20 लेखे जमा कराए। नौ लेखाओं ने 271 करोड़ का मुनाफा दिखाया, जबकि 11 लेखाओं ने 1107 करोड़ का नुकसान।
- हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (एचएसआइआइडीसी) भूमि के अधिग्रहण और विकास की कोई कारगार नीति बनाने में असफल रहा।
- पांच सरकारी उपक्रमों ने 1987 के बाद से अपने लेखे ही तैयार नहीं किए। इनमें 7429 करोड़ का निवेश हुआ है।
- स्वच्छता अभियान के तहत 12 शहरों में अस्वच्छ शौचालयों की पहचान नहीं की गई, 23 शहरों में सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण नहीं हो पाया। 2571 लोगों को बगैर पड़ताल किए ही शौचालय बनाने के लिए पैसा आवंटित कर दिया गया।

(217)

(31)

PUNJAB KESRI
15-03-2018

कैग की रिपोर्ट- परियोजनाओं में देरी और टैक्स वसूली में खामियां

हरियाणा विधानसभा पटल पर रखी गई रिपोर्ट, सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल

चंडीगढ़, 14 मार्च (बंसल/पांडेय): हरियाणा विधानसभा बजट सत्र में बुधवार को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई। रिपोर्ट में हरियाणा के सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली और योजनाओं पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं।

कैग ने साफ किया है कि सरकार की कई अहम परियोजनाओं में देरी और टैक्स की उगाही में खामियों के कारण सरकारी राजस्व को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। एक दिन पहले ही सदन में कांग्रेस विधायक रघुबीर कादियान ने विधानसभा में बजट पेश होने के बावजूद कैग रिपोर्ट सदन में नहीं रखने का मुद्दा उठाया था। कैग की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा ग्रामीण विकास निधि के तहत जुटाए गए 2483 करोड़ रुपए समेकित निधि में जमा नहीं करवाए गए।

सरकार को ब्याज में देने पड़ गए 10 हजार 542 करोड़ रुपए

सरकार की कमाई का 83 फीसद हिस्सा कर्मचारियों की तनख्वाह, मजदूरी, ब्याज, पैंशन और अनुदान पर खर्च हुआ जो निर्धारित मानकों से कहीं अधिक है। सामान्य सेवाओं पर कम खर्च के कारण पूंजीगत खर्च 45.23 करोड़ रुपए कम हो गया। इसके उलट केंद्र व अन्य एजैंसियों को ब्याज में ही 10 हजार 542 करोड़ रुपए देने पड़े जो 14वें वित्त आयोग और मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरणी द्वारा निर्धारित सीमा से कहीं अधिक है।

समय पर टैक्स नहीं वसूलने से 1701 करोड़ का पलीता

कैग रिपोर्ट में बताया गया कि सही समय पर टैक्स की वसूली न होने से कारण सरकार को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। टैक्सों में बिक्री कर, मूल्य वर्धित कर (वैट), राज्य उत्पाद शुल्क, स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस, माल एवं यात्रियों पर कर तथा वाहनों पर टैक्स शामिल हैं। इन टैक्सों की वसूली में लापरवाही से सरकारी खज़ाने को 1701 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अकेले वैट की कम वसूली से ही 518 करोड़ की चपत लगी। जमीन पर स्टाम्प शुल्क के निर्धारण में फर्जीवाड़े से 66.69 करोड़ का नुकसान हुआ।

सरकारी कंपनियों को भी जबरदस्त घाटा

प्रदेश की सरकारी कंपनियों ने सरकार को 5725 करोड़ का घाटा दिया। प्रदेश की 31 सरकारी कंपनियों में पांच बंद हो चुकीं जबकि 26 में उत्पादन हो रहा है। इनमें से 17 कंपनियों ने 20 लेखे जमा करवाए। नौ लेखाओं ने 271 करोड़ का मुनाफा दिखाया, जबकि 11 लेखाओं ने 1107 करोड़ का नुक्सान। इसी तरह हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (एच.एस.आई.आई.डी.सी.) भूमि के अधिग्रहण और विकास की कोई कारगार नीति बनाने में असफल रहा। पांच सरकारी उपक्रमों ने 1987 के बाद से अपने लेखे ही तैयार नहीं किए, जबकि इनमें करीब 7429 करोड़ का निवेश किया हुआ है।

बिजली निगमों से सरकार की मुश्किलें बढ़ी

रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने बगैर एच.ई.आर.सी. से मंजूरी लिए मीटर पिलर बॉक्स स्कीम लागू कर दी। एक फर्म को ही प्रोजैक्ट का 65 फीसद काम सौंप दिया गया। प्रोजैक्ट पूरी तरह फेल रहा और कुल माल का 34 फीसद ही परियोजना में इस्तेमाल हो सका।

ड्रीम प्रोजैक्ट स्वच्छता अभियान पर भी सवाल

कैग ने अपनी रिपोर्ट में मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजैक्ट स्वच्छता अभियान पर भी सवाल खड़ा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रदेश के 12 शहरों में सही शौचालयों की पहचान नहीं की गई, जबकि 23 शहरों में सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण नहीं हो पाया। 2571 लोगों को बगैर पड़ताल किए ही शौचालय बनाने के लिए पैसा अबंटित कर दिया गया। कैग ने जांच में पाया है कि इस अभियान को सही तरीके से नहीं चलाया जा रहा है।

AAJ SAMAJ
15-03-2018

213

32

कैग की रिपोर्ट में सामने आईं कई अनियमितताएं

हरियाणा विधानसभा में बुधवार को बजट पर चर्चा हुई और सुबह सबसे पहले नेम किए गए इंडियन नेशनल लोकदल के विधायकों की सदन में वापसी हुई। लेकिन पटल पर जैसे ही कैग की रिपोर्ट आई तो विधानसभा में काफी गहमागहमी देखने को मिली। कैग की रिपोर्ट में कई अनियमितताएं सामने आईं। इनमें महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में पूरे सिस्टम को कंप्यूटरीकृत करने के नाम पर 26 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया गया। इसी तरह श्रम एवं रोजगार विभाग में 47 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। बचत बैंक खातों से अर्जित 9.52 करोड़ रुपए का ब्याज सरकारी खाते में जमा ही नहीं हुआ कि रिपोर्ट के अनुसार झज्जर जिले में कल्याण अधिकारी 5.15 करोड़ रुपए के फर्जी बिलों का भुगतान किया। इसके अलावा एक मामला सामने आया कि सरकार ने 60 करोड़ रुपए की लागत से 7 पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाए लेकिन उनमें से 5 कॉलेज चालू ही नहीं हो पाए। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री अनिल बिज ने कहा कि सरकार सही तरीके से काम कर रही है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए विपक्ष तरह-तरह की बातें बना रहा है। उन्होंने कहा कि कैग की रिपोर्ट की बाकायदा समीक्षा होती है और उसके बाद स्थितियां स्पष्ट होती हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में यह निर्णय लिए गए और कैसे पैसा खर्च हुआ।

सरकार पर किए सवाल खड़े

- सदन में साल 2016-17 की कैग की रिपोर्ट पेश
-कैग ने सरकार के कई विभागों के कामकाज और वित्तीय प्रबंधन पर उठाए सवाल
-कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा महर्षि दयानंद विश्विद्यालय में 92 अनुसंधान प्रोजेक्टों में से सिर्फ 37 प्रोजेक्ट ही पूरे हुए।
-विश्विद्यालय मे प्रिंटिंग प्रेस की क्षमता से कम उपयोग करने से साढ़े 4 करोड़ 53 लाख रुपए का नुकसान हुआ
कम्प्यूटरीकरण के कार्य को पारदर्शी ढंग से आबंटित नहीं किया गया
-संविदा करार से 26.31 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया
-जेलों की सुरक्षा को लेकर कैग का बड़ा सवाल,कहा-जेलों में हथियार और गोला बारूद कम थे जेल के साथ ऊंची इमारते और सामान्य सड़के हैं
-नारनौल में टीबी से पीड़ित कैदियों को दूसरे कैदियों के साथ रखा गया जिससे दूसरे कैदियो के स्वास्थ्य को जोखिम में डाला गया
-खाद्य एवं आपूर्ति विभाग एफसीआई से 18.65 करोड़ की वसूली नही हुई जिससे राजकोष पर 21.12 करोड़ रुपये के अतिरिक्त ब्याज का सरकार पर बोझ पड़ा
-श्रम एवं रोजगार विभाग में कार्मिकों के लिए बनी कल्याण योजनाओं का लाभ नही हुआ जिससे करीब 47 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ
-जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग में तमाम योजनाओं में अनियमितताओं के चलते 30 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी लाभ नही मिला
-लोक निर्माण विभाग लारा राज मार्गों के निर्माण में साढ़े 12 करोड़ रुपये का अधिक खर्च किया गया जिससे 3.94 करोड़ के टोल शुल्क की राजस्व की हानि हुई।

4.14 फीसदी है। कैप्टन ने बताया कि कृषि और सिंचाई का बजट भी बढ़ाया

है, साथ ही उन्होंने कहा कि 2013-14 में सैलरी और पेंशन पर 15 हजार

461 करोड़ रुपए खर्च हुए थे जबकि इस साल सरकार ने 28 हजार करोड़

(321)

Printed From
the pioneer

Dated 16-03-2018

SHORTAGE OF ARMS, AMMUNITION, EQUIPMENTS IN HARYANA JAILS: CAG REPORT

Friday, 16 March 2018 | PNS | Chandigarh

Rate : 0/5 Like : 0

The Comptroller and Auditor General has pointed out shortcomings in the functioning of jails in Haryana.

"There is shortage of arms and ammunition, security equipment and existence of high rise buildings and common roads adjoining jails which are security threats to jails in Haryana," revealed the CAG report on non-public sector undertakings in the State.

Perspective plan for identifying the thrust areas requiring attention was not prepared and new jail manual on the lines of modern prison manual of the Centre was also not prepared in Haryana. As against the availability of funds of Rs 97.77 crore with Haryana State police Housing Corporation Limited, only Rs 68.69 cr was spent, said the report.

It also pointed out that capacity utilisation of jails was imbalanced as inmates of three overcrowded jails were not shifted to other jails where space was available. Besides, two female hostels and a school building in district jail, Faridabad were lying unutilized for last seven years.

In district jail, Narnaul, prisoners suffering from Tuberculosis were kept along with other prisoners posing health hazards. Also, there were insufficient beds in jails hospitals, lack of medical infrastructure, non-availability of lady doctors for female inmates and non-deployment of psychiatric counselors, the report revealed.

It also stated, "Working in jail factories was not satisfactory as factories were operational only in 9 out of 19 jails in the state. Concept of open jail and rehabilitation of prisoners after their release required attention in the state."

The State Advisory Board to advise the State Government on matters relating to correctional work in prisons and Board of Work programme and vocational training for guidance, supervision and control of vocational training for after care homes for discharged prisoners were not constituted, the report added.

Developers benefited by HUDA

Due to lack of coordination, Town and Country Planning Department and Haryana Urban Development Authority (HUDA) failed to recover government dues of Rs 14.29 crore from a defaulter developer. HUDA paid Rs 14.34 crore to developer instead of recovering/adjusting the government dues, the CAG revealed.

The report also stated, "Town and Country Planning Department granted licence for developing commercial colony by changing specified area for special zone to commercial land use without notification. Undue favour to the extent of Rs 18.94 cr was granted to a developer. Besides, thoroughfare through developer's land was not ensured and project was launched without approval of building plan."

Also, allotment of work by HUDA for laying of Master Water Supply Pipelines for new Sectors 58 to 115 Gurugram without ensuring availability of clear site not only led to idle expenditure of Rs 4.12 crore but also benefits of war supply in the area could not be achieved, the report said.

Failure of HUDA to ensue encumbrance free availability of land at Gurugram for the project for providing distribution mains for recycled water, even after lapse of more than three years, rendered the expenditure of Ra 108 crore incurred on the project idle, it added.

Irregularities in MDU revealed

Pointing out irregularities in the functioning of Maharshi Dayanand University, the CAG stated that work of computerization was allotted in a non-transparent manner in the University.

Payment of Rs 26.31 crore was made in excess of contract agreement. Further, the work was lying incomplete, the CAG disclosed. The report also pointed out that non-investment of surplus funds in fixed deposits resulted in loss of interest of Rs 51.71 lakh. Temporary advances of Rs 11.18 crore were also lying unadjusted.

Reve ing poor academic performance in MDU, the CAG said, "Out of 92 research projects, only 37 were mpleted. Out of incomplete projects, 21 had crossed their scheduled date of completion. Overall pass percentage of students declines from 55 percent in 2012-13 to 41 percent in 2015-16."

Out of teaching posts (regular) between 18 and 26 percent and teaching posts (self financing schemes) between 52 and 55 percent were lying vacant, the report stated.

Academic planning board for preparation of short term and long term development plans was not constituted in the University, established in 1976, it said. An expenditure of Rs 10.98 crore incurred on establishment of Choudhry Ranbir Singh Institute of Social and Economic Change was rendered unfruitful because of non-fulfillment of its objectives. Apart from this, printing press of University suffered loss of Rs 4.53 cr due to underutilization of its capacity, the CAG report added.

Printed from NYOOOZ

NYOOOZ
Dated 16-03-2018

(12)

NYOOOZ
My City My News

Hryana jails short of over 50% arms & ammunition: CAG

https://www.nyoooz.com/news/chandigarh/1058616/hryana-jails-short-of-over-50-arms--ammunition-cag/

Friday | 16th March, 2018

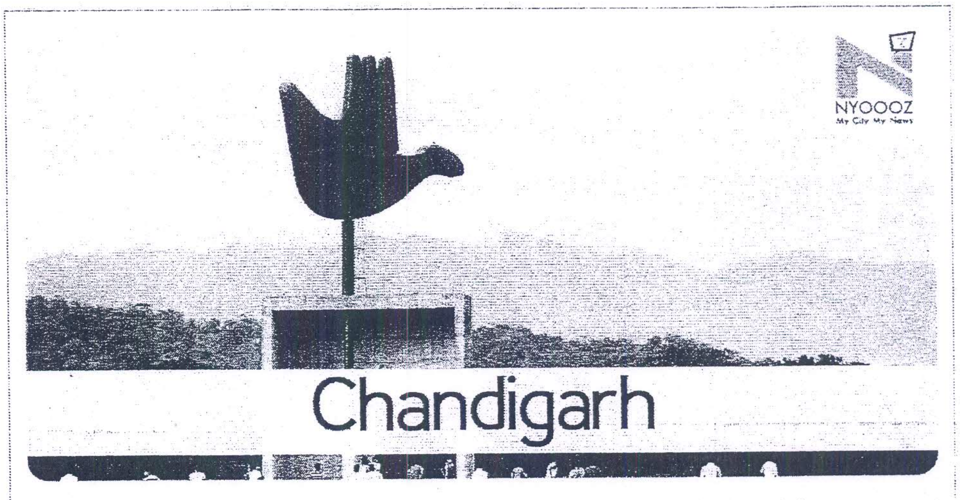

Summary: The report has stated that the Punjab Jail Manual prescribes that every warder shall be provided with military breach loading firearms and buckshot ammunition. But during checking, huge shortage of pistols, revolvers, guns, rifles and ammunition was found as on April 30, 2017. Similarly rifles/ guns were also found to be 841 against the requirement of 1,368," CAG has reported.In its defence, Haryana DGP (jails) claimed that norms of arms and ammunition were on higher side in the Punjab Jail Manual. CHANDIGARH: The Comptroller and Auditor General (CAG) of India has pointed out that jails in Haryana are short of over 50% arms and ammunition than their requirements.In its recent report, tabled in the state assembly, CAG observed that shortage of weapons in jails was bound to have an adverse impact on the security. According to the manual, 50 rounds blank and 30 round of buckshot were to be allotted to individual officials."Ammunition for deputy superintendents, senior assistant superintendents, assistant superintendents of jail was to be provided on the scale allowed for warders.

CHANDIGARH: The Comptroller and Auditor General (CAG) of India has pointed out that jails in Haryana are short of over 50% arms and ammunition than their requirements.In its recent report, tabled in the state assembly, CAG observed that shortage of weapons in jails was bound to have an adverse impact on the security. It has also found that most of the walkie-talkie systems purchased by jail authorities for better internal communication and monitoring have become non-functional.These findings of CAG are based on appraisal of security arrangements in selected eight jails of the state. The report has stated that the Punjab Jail Manual prescribes that every warder shall be provided with military breach loading firearms and buckshot ammunition. According to the manual, 50 rounds blank and 30 round of buckshot were to be allotted to individual officials."Ammunition for deputy superintendents, senior assistant superintendents, assistant superintendents of jail was to be provided on the scale allowed for warders. But during checking, huge shortage of pistols, revolvers, guns, rifles and ammunition was found as on April 30, 2017. Jail administration has only 21 pistols/revolvers as against the required 72. Similarly rifles/ guns were also found to be 841 against the requirement of 1,368," CAG has reported.In its defence, Haryana DGP (jails) claimed that norms of arms and ammunition were on higher side in the Punjab Jail Manual. CAG, however, refused to accept DGP's explanation on the ground that norms prescribed by the jail manual have to be followed till they are not amended or replaced by new manual.CAG has also found that out of 220 existing security equipment, including mobile phone jammers, door framed metal detectors, hand held metal detector and search lights, 151were non-functional.

© NYOOOZ 2018. All Rights Are Reserved.

AAJ SAMAJ
16-03-2018

(257) (13)

कैग ने उठाए गंभीर सवाल

■ सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली पर लगाए सवालिया निशान

आज समाज नेटवर्क

चंडीगढ़। कैग ने हरियाणा के सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने में देरी और करों की उगाही में लापरवाही से सरकारी खजाने को भारी चपत लगी है। प्रदेश की सरकारी कंपनियों (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) ने सरकार को 5,725 करोड़ रुपए का घाटा दिया। कई कल्याणकारी योजनाओं में खानापूर्ति के कारण अपेक्षित नतीजे हासिल नहीं हो सके। साल 2016-17 की हरियाणा के वार्षिक रिपोर्ट कार्ड पर सबकी नजरें टिकी हुई थीं।

रिपोर्ट में कैग ने प्रदेश सरकार की कई योजनाओं और फैसलों के क्रियान्वयन के तरीके पर अंगुली उठाई। कैग की महालेखाकार प्रधान महुआ पाल ने गुरुवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। महुआ पाल ने हरियाणा के सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया। हरियाणा ग्रामीण विकास निधि के तहत जुटाए गए 2,483 करोड़ रुपए समेकित निधि में जमा नहीं कराए गए। सरकार की कमाई का 83 फीसद हिस्सा कर्मचारियों की तनख्वाह, मजदूरी, ब्याज, पेंशन और अनुदान पर खर्च हुई जो निर्धारित मानकों से कहीं अधिक है। सामान्य सेवाओं पर कम खर्च के कारण पूंजीगत खर्च 45.23 करोड़ रुपए कम हो गया। इसके उलट केंद्र व अन्य एजेंसियों को ब्याज में ही 10,542 करोड़ रुपए देने पड़े जो 14वें वित्त आयोग और मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरणी द्वारा निर्धारित सीमा से कहीं बहुत अधिक है। बिक्री कर, वैट, राज्य उत्पाद शुल्क, स्टांप शुल्क तथा पंजीकरण फीस, माल एवं यात्रियों पर कर, वाहनों पर टैक्स की वसूली में लापरवाही से सरकारी खजाने को 1701 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अकेले वैट की कम वसूली से ही 518 करोड़ की चपत लगी। कैग ने हरियाणा की जेलों के प्रबंधन पर भी बड़े सवाल खड़े किए हैं। जेलों में गोला-बारूद और सुरक्षा उपकरणों की कमी और जेलों के साथ लगती ऊंची इमारतों को सुरक्षा को बड़ा खतरा बताया।

महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए और कई योजनाओं में जरूरत से अधिक भुगतान कर दिया गया। प्रदेश की 31 सरकारी कंपनियों में पांच बंद हो चुकी हैं, जबकि 26 में उत्पादन हो रहा है। इनमें से 17 कंपनियों ने 20 लेखे जमा कराए। नौ लेखाओं ने 271 करोड़ का मुनाफा दिखाया, जबकि 11 लेखाओं ने 1107 करोड़ का नुकसान। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (एचएसआइआइडीसी) भूमि के अधिग्रहण और विकास की कोई कारगार नीति बनाने में असफल रहा।

DAINIK JAGRAN 16-03-2018

(255) (14)

रिपोर्ट **हरियाणा की प्रधान लेखाकार महुआ पाल ने कैग की रिपोर्ट में उठाए सरकारी विभागों पर सवाल**

कैग ने माना, अफसरों की वजह से हो रही पैसे की बर्बादी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार की विभिन्न परियोजनाओं में देरी और वित्तीय नुकसान के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने भी अफसरों को ही जिम्मेदार ठहराया है। अफसरों की लापरवाही के कारण करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा खराब हालत एचएसआइआइडीसी की है, जहां सही काम नहीं होने से सरकारी खजाने को 869 करोड़ का नुकसान पहुंचा है। हरियाणा की प्रधान लेखाकार महुआ पाल ने वीरवार को रिपोर्ट की जानकारी मीडिया को दी।

कैग ने कहा है कि एचएसआइआइडीसी ने औद्योगिक विकास के नाम पर भूमि के अधिग्रहण और विकास के लिए कोई योजना तैयार नहीं की। जनवरी 2006 और अप्रैल 2013 के मध्य अधिगृहीत 4,488.86 करोड़ की 7542.76 एकड़ भूमि का औद्योगिक संपदा के रूप में विकास शुरू नहीं हुआ।

महुआ पाल के अनुसार एक कोयला एजेंट के साथ बेहतर करार नहीं करने के कारण 1.87 करोड़ की हानि हुई। टेंडर दस्तावेजों को तैयार करने का काम ठीक नहीं होने से 62.54 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। भारतीय खाद्य निगम को अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने में देरी और जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों द्वारा निधियों के हस्तांतरण में नियमों का अनुपालन नहीं करने से एफसीआइ से 18.65 करोड़ की वसूली नहीं हो पाई।

झज्जर में 5.15 करोड़ रुपये का हुआ फर्जी छात्रवृत्ति भुगतान

कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2012-16 के दौरान जिला समाज कल्याण अधिकारी झज्जर ने अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम की योजना के तहत दावों को जांचे बिना छात्रों को 5.15 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया।

सड़क निर्माण में देरी पर भी करोड़ों की हानि

हरियाणा में राजमार्गों को समय से चौड़ा और मजबूत नहीं किया गया। कई ऐसी परियोजनाएं थी जिनका काम देरी से शुरू होने के कारण उसकी लागत 1.58 करोड़ बढ़ गई। इसके अलावा 3.94 करोड़ रुपये के टोल शुल्क की हानि हुई।

सीटें खाली होने पर भी खोल दिए दस नए संस्थान

कैग की रिपोर्ट में कहा गया कि हरियाणा तकनीकी शिक्षा विभाग में कौशल विकास के लिए तकनीकी संस्थानों में मूलभूत सुविधाएं मौजूद नहीं हैं। कहा गया कि 60.11 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी 7 नए तकनीकी संस्थानों में से 5 संस्थानों काम नहीं शुरू हो सका। मौजूदा संस्थानों में सीटें खाली रहने के बाद भी दस नए संस्थान खोलने के लिए 157.17 करोड़ की राशि मंजूर की गई।

श्रमिक कल्याण बोर्ड में भी 47 करोड़ की चपत

कैग की रिपोर्ट में कहा गया कि हरियाणा भवन एवं श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा निर्माण कार्मिकों के लिए कल्याण योजनाओं पर निधियों का प्रयोग नहीं होने के कारण लाभार्थियों को लाभ नहीं हो पाया। नतीजतन 47.07 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा।

कैथल में ड्रेन और अंबाला में सीवेज निर्माण में गड़बड़ी

महुआ पाल ने बताया कि जन स्वास्थ्य विभाग कैथल के कार्यकारी अभियंता की ओर से तय समय में ड्रेन का सिर्फ 38 फीसद निर्माण किया गया, जिससे 3.11 करोड़ अनावश्यक खर्च हुए। 16.73 करोड़ खर्च करने के बाद भी अंबाला शहर की सीवेज योजना अधूरी रही।

सीएलयू की जमीन में हेराफेरी, 66 करोड़ का स्टांप शुल्क चोरी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : हरियाणा में जमीनों की सीएलयू (चेंज आफ लैंड यूज) के बावजूद बिल्डरों ने अफसरों से मिलीभगत कर स्टांप शुल्क की चोरी कर सरकारी खजाने को मोटा चूना लगाया। आवासीय कालोनियां काटने के बावजूद कृषि भूमि के नाम पर कहीं टैक्स छोड़ा गया तो कहीं कम वसूली की गई। इस मामले उजागर करते हुए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने सवाल उठाए हैं। कैग ने वर्ष 2016-17 की वार्षिक रिपोर्ट में 66.69 करोड़ रुपये के स्टांप शुल्क की चोरी पकड़ी है। शहरों में आवासीय और वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए अधिगृहीत कृषि भूमि पर एक हजार गज तक के प्लाटों के मूल्यांकन में भारतीय स्टांप अधिनियम के प्रावधानों की धज्जियां उड़ाई गईं। इससे सरकार को 44.67 करोड़ का राजस्व कम मिला। पंजीकरण अधिकारियों ने छह मामलों में बिक्री करार के बजाय संयुक्त करार दिखा भू-मालिकों को 7.35 करोड़ का फायदा पहुंचाया।

DAILY POST
16-03-2018

Govt glorified then CM Hooda, spent ₹90 lakh on TV ads: CAG report

CHANDIGARH: The Haryana government indulged in personal glorification of the then chief minister Bhupinder Singh Hooda by spending over Rs 90 lakh on advertisements for television channels.

The Comptroller and Auditor General (CAG) in its audit report tabled in the assembly on Wednesday said video clips in the name of - 'Hoodaji Ka Haryana' and 'Mhara CM Sahib' - were telecast by various television channels during July-August 2014. "Both these television clips referred to Haryana government as Hooda ji Ka Haryana and referred specifically to "Hooda" at number of places attributing achievements of the state government to his personal endeavors," the audit report pointed out.

The guidelines on content regulation of government advertising stipulate that advertisement material should be objective and not directed at promoting political interests of ruling parties. It also stipulated that government advertising should maintain political neutrality and avoid glorification of political personalities. It also stipulated that advertisements must not mention the party in power by name or include party symbol, logo or flag. The information and public relations department in its reply to the auditors said that television ads were not released for the benefit of any individual but were regarding public welfare scheme and development activities of the government. "The name of the former chief minister was used being the chief minister of the state. AGENCIES

HARYANA JAILS POORLY SECURED: CAG REPORT

CHANDIGARH: Jails in Haryana are poorly equipped as far as arms and ammunitions for warders and jail officials are concerned. Also, the warders are not fully trained to handle firearms as they lacked in target practice. This is bound to have an adverse impact on the security of jails, the Comptroller and Auditor General (CAG) has said while conducting a performance audit of the jails in the state. In test check of eight jails conducted by the CAG for 2016-17, it was found that there was 70 pc shortage in terms of availability of pistols and revolvers, and 38 pc shortage of rifles and guns in the jails. DP

AMAR UJALA
16-03-2018

(16) (251)

सीएलयू में 18.94 करोड़ का फटका
राख में भी खाक हुए 16.91 करोड़

गुरुग्राम में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने बिना अधिसूचना के डेवलपर को जारी किया कामर्शियल कालोनी का सीएलयू

मोहित धुपड़

चंडीगढ़।

गुरुग्राम में सेक्टर 16 के विशेष जोन में पड़ने वाली 13.08 एकड़ जमीन पर कामर्शियल कालोनी काटने में जारी किए सीएलयू और कालोनी डेवलप कर को नेशनल हाईवे से कालोनी की कनेक्टिविटी करने के लिए करोड़ों की जमीन का निशुल्क फायदा पहुंचाने की धांधली सामने आई है। इसके अलावा भी इस प्रोजेक्ट को लेकर नियमों को ताक पर रखकर डेवलपर को फायदा दिया गया।

यह खुलासा विधानसभा सदन पटल पर रखी गई नियंत्रक महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार गुरुग्राम-मानेसर शहरी कैंपस-2031 के डेवलपमेंट प्लान अंतर्गत पड़ने वाले 114 हेक्टेयर विशेष जोन में से सेक्टर 16 स्थित में स्थित विशेष जोन की 13.08 एकड़ भूमि पर एक कामर्शियल कालोनी काटने के लिए संबंधित विभाग को लाइसेंस देने के लिए आवेदन किया गया। डेवलपर को

कालोनी को एनएच-8 से जोड़ने के लिए 18.94 करोड़ की जमीन भी निशुल्क दे दी

अगस्त 2015 में लाइसेंस प्रदान कर दिया गया।

इस लाइसेंस को प्रदान करने में विभाग ने पूर्व सरकार के कार्यकाल में अगस्त 2013 में हुई मंत्री परिषद की बैठक में गुरुग्राम के सेक्टर 16 के विशेष जोन को व्यवसायिक भूमि प्रयोग के लिए अनुमति दिए जाने संबंधी फैसले को आधार बनाया गया था। लेकिन विभाग ने सीएलयू के इस संशोधन को न तो अधिसूचित किया और न ही जनता से इस पर आपत्तियां मांगी गई, जो कि अनिवार्य थी। जिसके चलते इस फैसले मेंनिर्धारित प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए विशेष जोन की भूमि प्रयोग का परिवर्तन (सीएलयू) नियमित नहीं हो पाया और विभाग बिना सीएलयू अधिसूचित व नियमित हुए डेवलपर को कामर्शियल कालोनी काटने का लाइसेंस दे दिया। इस व्यवसायिक कालोनी में आम सार्वजनिक रास्ते का प्रावधान किए गए ही लाइसेंस दिया गया।

बिना भूमि लिए 2400वर्ग मीटर जमीन दे दी

इस कालोनी को एनएच से जोड़ने के लिए हुडा विभाग ने मेहरबानी दिखाते हुए 18.94 करोड़ कीमत वाली 2400 वर्ग मीटर ग्रीन बेल्ट डेवलपर को सड़क निर्माण के लिए दे दी। नियमानुसार हुडा को इस जमीन की एवज में डेवलपर से इतनी ही कीमत की जमीन लेनी थी। लेकिन हुडा ने डेवलपर से ग्रीन बेल्ट की जमीन देने की एवज में किसी भी भूमि की मांग ही नहीं की। जिससे डेवलपर को करोड़ों का अदेय लाभ पहुंचा और सरकार को चपत लगी। इतना ही नहीं अभी इस परियोजना का बिल्डिंग प्लान पास भी नहीं हुआ था, कि डेवलपर ने इस परियोजना को विज्ञापन भी शुरू कर दिया था। जोकि नियमानुसार नहीं था।

पानीपत थर्मल प्लांट से राख निकालने में हुआ भारी नुकसान

हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने पानीपत थर्मल पॉवर स्टेशन की एक यूनिट केलिए एक ऐश (राख) हैंडलिंग प्रणाली के तहत एक कंपनी से ठेका किया। लेकिन ये कंपनी अपना काम पूरी तरह नहीं निपटा पाई, जिस वजह से सूखी राख को गीला कर निकालना पड़ा। इससे 16.91 करोड़ की हानि हुई। कैग रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया कि कंपनी से किए अनुबंध में इस बात का भी प्रावधान नहीं किया गया था कि यदि कंपनी अपना काम पूरा नहीं करती, तो उसका ठेका रद्द कर दिया जाएगा। अगस्त 2007 से जुलाई 2017 कंपनी को ठेका मिला था। लेकिन अप्रैल 2012 से मार्च 2017 के दौरान कंपनी ने थर्मल प्लांट से पूरी तरह सूखी राख नहीं निकाली। जिसके चलते राख को निकालने में उसे गीला करना पड़ा। इस दौरान अतिरिक्त जल खपत के कारण 16.91 करोड़ का नुकसान हुआ।

(17)

(245)

DAINIK TRIBUNE
16-03-2018

कैग रिपोर्ट प्रदेश में जेलों के प्रबंधन पर उठाए सवाल

चंडीगढ़, 15 मार्च (ट्रिन्यू)

विधानसभा के पटल पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट आने के बाद बृहस्पतिवार को हरियाणा की प्रधान लेखाकार महुआ पाल ने रिपोर्ट की वस्तुस्थिति को मीडिया के साथ साझा किया। उन्होंने कहा कि अफसरों की गलतियों के कारण अहम योजनाएं भी समय से सिरे नहीं चढ़ सकी जिसके कारण सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का फटका लगा है। प्रधान लेखाकार ने बताया कि हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड ने राज्य में औद्योगिक विकास के नाम पर भूमि के अधिग्रहण और विकास के लिए कोई परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं की और न ही जरूरत के मुताबिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। रिपोर्ट में कहा है कि जनवरी 2006 तथा अप्रैल 2013 के मध्य अधिगृहीत की गई 4,488.86 करोड़ की कीमत की 7542.76 एकड़ भूमि का औद्योगिक संपदा के रूप में विकास शुरू नहीं किया गया।

वहीं कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि हरियाणा में जेलों के प्रबंधन की स्थिति ठीक नहीं है। वित्तीय प्रबंधन, रक्षा, सुरक्षा, कैदियों की सुविधाएं और विशेषाधिकार तथा पुनर्वास प्रदान करने में सरकार की ओर से कई तरह की खामियां सामने आई हैं।

TIMES OF INDIA
16-03-2018

(18) (247)

Hry jails short of over 50% arms & ammunition: CAG

Shortage To Hit Security, Says Report

Ajay.Sura@timesgroup.com

Chandigarh: The Comptroller and Auditor General (CAG) of India has pointed out that jails in Haryana are short of over 50% arms and ammunition than their requirements.

In its recent report, tabled in the state assembly, CAG observed that shortage of weapons in jails was bound to have an adverse impact on the security. It has also found that most of the walkie-talkie systems purchased by jail authorities for better internal communication and monitoring have become non-functional.

These findings of CAG are based on appraisal of security arrangements in selected eight jails of the state. The report has stated that the Punjab Jail Manual prescribes that every warder shall be provided with military breach loading firearms and buckshot ammunition. According to the manual, 50 rounds blank and 30 round of buckshot were to be allotted to individual officials.

"Ammunition for deputy superintendents, senior assistant superintendents, assistant superintendents of jail was to be provided on the scale allowed for warders. But during checking, huge shortage of pistols, revolvers, guns, rifles and ammunition was found as on April 30, 2017. Jail administration has only 21 pistols/revolvers as against the required 72. Similarly rifles/guns were also found to be 841 against the requirement of 1,368," CAG has reported.

In its defence, Haryana DGP (jails) claimed that norms of arms and ammunition were on higher side in the Punjab Jail Manual. CAG, however, refused to accept DGP's explanation on the ground that norms prescribed by the jail manual have to be followed till they are not amended or replaced by new manual.

CAG has also found that out of 220 existing security equipment, including mobile phone jammers, door framed metal detectors, hand held metal detector and search lights, 151 were non-functional.

THREAT FROM HIGHRISES

CAG has found serious security threats near Kurukshetra and Ambala jails on account of high-rise buildings adjacent to these. In Kurukshetra, the entire jail is visible from the roof of an adjacent marriage palace (banquet hall). Similar problems were also found in Narnaul, Hisar and Sirsa jails.

SHORTAGE IN HARYANA JAILS

Arms/ammo	Requirement	Availability
Pistol/revolver	72	21
Rifle/gun	1,368	841
Round ball	12,540	5,382
Round blank	15,050	7,425
Round buckshot	10,450	9,417

PUNJAB KESRI
16-03-2018

उपलब्ध है संबंधित बार एसोसिएशन बार काउंसिल से इन्हें ले सकता है।

कैग रिपोर्ट : समय पर काम नहीं होने से एच.एस.आई.डी.सी. को 869 करोड़ का फटका

चंडीगढ़, 15 मार्च (बंसल/पांडेय) : नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में हरियाणा सरकार की परियोजनाओं में देरी करने के लिए संबंधित विभागों के अफसरों को जिम्मेदार ठहराया गया है। हरियाणा की प्रधान लेखाकार महुआ पाल ने वीरवार को पत्रकारों से बातचीत में सरकार के विभिन्न विभागों की स्थितियों को बयां करते हुए कहा कि सबसे ज्यादा विफलता एच.एस.आई.डी.सी. में नजर आई, जहां सही और समय पर काम नहीं होने से सरकारी खजाने को 869 करोड़ का फटका लगा है।

20 (243)

s' to
ig
ister

5
as taken ensure pply all reach of sured to Gandhi 'dhanis' and 583 an areas ived of er.
Minister : Health ari Lal question ay of the oday.
are secu- well as nal insti- ent had fied the on Sep- nich was depart- schools- in. Edu- m Bilas ile reply- TNS

State's internal debt grew by 23 pc last year, says CAG

SUSHIL MANAV
TRIBUNE NEWS SERVICE

CHANDIGARH, MARCH 15

Although Finance Minister Capt Abhimanyu projected a very rosy picture of the state's finances during the Budget session, the report of the Comptroller and Auditor General (CAG) does not find the fiscal condition of the state in the pink of health.

The CAG report for the year ending March 31, 2017, placed before the Assembly yesterday says that the internal debt of the state increased by 23.04 per cent from Rs 99,660 crore in 2015-16 to Rs 12,2617 crore in 2016-17.

Giving details, Mahua Pal, Principal Accountant General (Audit) for Haryana, said that revenue expenditure for the year constituted 86 per cent of the total expenditure.

Further, 83 per cent of the non-plan revenue expenditure (NPRE) of Rs 46,284 crore was on four components - salary and wages, pension liabilities, interest payments and subsidies. Moreover, 86 per cent (Rs 6,619 crore) of total subsidies (Rs 7,654 crore) were only from the energy sector.

The report says that the average return of the government's investment in statutory corporations, rural banks, joint stock companies and cooperatives varied between 0.05 and 0.17 per cent in the past five years while the government paid an average interest of 8 to 9.86 per cent on its borrowings.

The revenue deficit which was required to be brought down to zero per cent during 2011-12 and to be maintained at zero up to 2014-15 increased from Rs 11,679 crore in 2015-16 to Rs 15,906 crore in 2016-17.

The CAG found that the cash balance investment account of the state at the end of 2016-17 decreased by Rs 1,618.27 crore and earned interest between 5 and 5.5 per cent while the government borrowed at an average of 8 per cent. The overall fiscal liabilities of the state were Rs 1,22,617 crore as on March 31, 2017. The fiscal liabilities were 26.74 per cent of the GSDP and 2.79 times of the revenue receipts.

An interest of Rs 9,140 crore was paid on internal debt during 2016-17, the resources gap remained negative and the primary expenditure was met partially from the borrowed funds. "The revenue receipts during 2016-17 increased by Rs 4,940.27 crore (10.39 per cent) over the previous year mainly due to the increased tax revenue of Rs 3,096.59 crore (10.01 per cent). However, tax revenue fell short by 27.64 per cent and non-tax revenue increased by 43.82 per cent of the targets fixed by the 14th Financial Commission," the report said.

and purchase Haryana AICC list

④

HINDUSTAN TIMES
17-03-2018

CAG REPORT

'Power utility made irregular tax reimbursement to Delhi firm'

Hitender Rao
hrao@hindustantimes.com

CHANDIGARH: The Comptroller and Auditor General (CAG) has pointed out that the state power distribution company Dakshin Haryana Bijli Vitran Nigam (DHBVN) made an irregular tax reimbursement of ₹1.41 crore to a New Delhi-based contractor, Shyam Indus Power Solution Pvt Ltd.

Incidentally, the director of the company, Satya Pal Sindhu, is the brother of Haryana minister Capt Abhimanyu.

The CAG in its audit of transactions of state-owned companies for 2016-17 found that DHBVN in July 2013 issued a work order to the firm at a cost of ₹110 crore along with ₹8.27-crore taxes.

The firm was to supply material for installing high-tension power lines for high voltage distribution system and strengthening the system in non-HUDA areas of Gurgaon city.

According to the work order, taxes in respect of transactions between DHBVN and Shyam Indus on all items of supply to be dispatched directly from the sub-vendor to the company's site were to be paid after receipt of each shipment at site against documentary evidence.

Central sales tax is levied on interstate sales under the CST Act. The law provides that if during the movement of goods in the course of interstate sales they are sold in-transit by transfer of documents of title to the government or a registered dealer, the in-transit sale would be exempted from the CST.

The audit observed that Shyam Indus raised invoices (from October 2013 to January 2016) towards exempted sale under the provisions of the CST Act, amounting to about ₹70 crore.

"No tax had been paid as per the returns filed by Shyam Indus against such supply. However, it raised a separate bill for reimbursement of CST amount of ₹1.41 crore in February 2016 without submitting any supporting documentary evidence of tax payment. The DHBVN also did not seek any documentary evidence of CST payment from the contractor paid by Shyam Indus before allowing the reimbursement of tax in May 2016," the CAG said.

The state government in August 2017 said that Shyam Indus raised claim of taxes that had been paid on purchases made by it. The CAG, however, did not find the reply tenable as the taxes paid by Shyam Indus on purchases were not liable to be paid by DHBVN because the sale price included all incidental expenses and profit element.

According to the CST Act provisions, no tax was payable under transit supply, hence the tax reimbursement of ₹1.41 crore to Shyma Indus was irregular, the auditor pointed out.

'PAYMENT ACCORDING TO PROCEDURE'

Satya Pal Sindhu, director of Shyam Indus Power Solution Pvt Ltd, is the brother of Haryana minister Capt Abhimanyu. While Capt Abhimanyu did not comment on the matter, the firm's chief financial officer, Sheetal Khurana, in a text message said the company had submitted all details of the claims properly and the payment was according to the procedure. "The order was awarded to us under risk and cost clause and the taxes were paid as per the claims settled by the DHBVN with the earlier successful bidder. In the same project, our company is yet to receive balance dues to the tune of about ₹12 crore," said Khurana.

THE FIRM WAS TO SUPPLY MATERIAL FOR INSTALLING POWER LINES FOR HIGH VOLTAGE DISTRIBUTION SYSTEM IN NON-HUDA AREAS OF GURGAON CITY

DAINIK JAGRAN
17-03-2018

(5)

अनियमितताओं पर घिरा मदवि

शिक्षा का स्तर बिगड़ा : पांच साल में पास होने वाले छात्रों की संख्या 14 फीसद घटी

सुधीर तंवर • चंडीगढ़

दक्षिण हरियाणा के दस जिलों में सरकारी और निजी कॉलेजों की जिम्मेदारी संभाल रही महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। पांच साल के दौरान शिक्षा का स्तर गिरने से न केवल फेल होने वाले विद्यार्थियों का ग्राफ बढ़ा, बल्कि कई मोर्चों पर वित्तीय अनियमितताओं से सरकार को करोड़ों रुपये का चूना लगा।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यूनिवर्सिटी की खामियों को बिंदुवार उजागर किया। यूनिवर्सिटी के कंप्यूटरीकरण कार्य में चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए 26.31 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान कर दिया। इसके बावजूद कंप्यूटरीकरण का काम अधूरा है और पूरी दाखिला प्रक्रिया सहित अन्य जरूरी काम मैन्युअल किए जा रहे हैं। जिस कंपनी को ठेका दिया गया, वह काम अधूरा छोड़ कर भाग गई।

कैग के मुताबिक मदवि के छात्रों का पास होने के आंकड़े लगातार कम हो रहे हैं। पांच साल में 14 फीसद रिजल्ट कम हो गया। वर्ष 2012-13 में जहां 55 फीसद छात्र पास हुए, वहीं 2015-16 में यह संख्या 41 फीसद रह गई। इसी तरह दूरस्थ शिक्षा में क्रेज घटने से विद्यार्थियों की संख्या एक लाख दस हजार से घट कर 71 हजार पर सिमट गई। गिरते रिजल्ट के लिए काफी हद तक स्टाफ की कमी भी जिम्मेदार है। यहां केवल 404 नियमित शिक्षक हैं, जबकि 200 शिक्षकों की और जरूरत है। कैग रिपोर्ट के मुताबिक विवि में नियमित शिक्षकों के एक चौथाई और स्वयं वित्त पोषित योजना के तहत 52 से 55 फीसद पद रिक्त हैं। नॉन टीचिंग स्टाफ का भी यही हाल है।

कैग के अनुसार विवि परिसर में बना चौधरी रणबीर सिंह सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन संस्थान उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। विकास व शोध कार्यों के लिए 10.98 करोड़ रुपये में निर्मित इस केंद्र में नेट, यूजीसी, एसएससी, जेआरएफ सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए युवाओं को तैयार करना था, लेकिन विद्यार्थियों ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। यही हाल नौकरीपेशा महिलाओं के लिए डेढ़ करोड़ रुपये में निर्मित महिला हॉस्टल का है जिसमें कभी 11 से अधिक महिलाएं नहीं रहीं।

कैग के मुताबिक विवि में दाखिले के समय से छात्रों से पांच सौ तो छात्राओं से 250 रुपये की हॉस्टल सिक्योरिटी ली जाती है। विवि छोड़ने पर यह राशि छात्र को वापस देनी होती है, लेकिन विवि पर छात्रों का पांच साल के 54 लाख रुपये बकाया हैं। कैग ने विकासकारी योजनाओं को तैयार करने के लिए मदवि द्वारा शैक्षिक बोर्ड का गठन नहीं करने पर आपत्ति जताई। बकाया धन को सावधि जमा में निवेश न करने से 51.71 लाख के ब्याज की हानि हुई। इसके अलावा अस्थायी अग्रिम के 11.18 करोड़ रुपये असमायोजित हैं। इसी तरह प्रिंटिंग प्रेस का दक्षता से कम उपयोग हुआ जिससे साढ़े चार करोड़ का नुकसान हुआ।

AMAR UJALA
17-03-2018

क्लोरीनेशन प्लांट की खरीद में अनियमितताएं

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने वित्तीय नियमों व पीडब्ल्यूडी कोड का किया गया उल्लंघन

चंडीगढ़। हरियाणा जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग ने क्लोरीनेशन प्लांट की खरीद में भारी वित्तीय अनियमितताएं बरती हैं। विभाग ने वित्तीय नियमों, दिशा-निर्देशों, पीडब्ल्यूडी कोड का उल्लंघन कर 6 करोड़ 39 लाख रुपये के 131 क्लोरीनेशन प्लांट खरीद डाले।

इसके अलावा बिना मरम्मत कार्य के लिए एक निजी एजेंसी को दो करोड़ 27 लाख रुपये का अनुचित लाभ पहुंचाया गया। कैग की जांच रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। सरकार के क्रय प्रावधान अनुसार देश में बनी मशीनरी, आयातित मशीनरी, उपकरणों व देश में उपलब्ध सभी एक्स-स्टॉक भंडारों की खरीद हरियाणा आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय को करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन क्लोरीनेशन प्लांट की खरीद विभाग ने न तो निदेशालय के जरिए की, न ही इसके संज्ञान में लाया। पीसाम, अंबाला शहर व महेंद्रगढ़ मंडलों के कार्यकारी अभियंताओं ने 45 वाटर वर्क्स पर गैर क्लोरीनेटर उपलब्ध कराने व स्थापित करने के लिए अक्टूबर 2013 से नवंबर 2014 के बीच 45 टेंडर मांगे। टेंडर रीगल यूएसए, इको फ्लोर की आपूर्ति व वेक्यूम रेगुलेटर, मेजरिंग ग्लास ट्यूब, इजेक्टर, सेंसर विद सिलेंडर ओपनिंग की, अमोनिया गैस लिक्विड ऑफ लीकिंग टेस्ट, सेंसर व हूटर इत्यादि की तीन साल तक पूरी मरम्मत संबंधी थे।

वितरक ने पांच लाख से नीचे रखवाई टेंडर की कीमत : मैसर्स केमिकल इंजेक्शन टेक्नोलॉजिज भारत में इसकी एकल वितरक थी। टेंडर में दो ही कंपनियों ने भाग लिया इसमें एक केमिकल इंजेक्शन व दूसरी इसके अधीन ही डीलर थी। इसलिए दोनों में कोई कंपीटीशन था ही नहीं। सभी 45 काम केमिकल इंजेक्शन को प्रत्येक यूनिट के हिसाब से चार लाख 49 हजार व चार लाख 95 हजार रुपये के बीच आवंटित कर दिए गए। बाद में अनुबंध का दायरा 45 यूनिट से 131 यूनिट तक बढ़ा दिया गया। इसके एवज में 6.39 करोड़ रुपये का भुगतान किया। कार्यकारी अभियंताओं ने देश में बने क्लोरीनेटरों के बजाय विदेश से आयातित क्लोरीनेटरों को तरजीह दी, जिसका कोई औचित्य नहीं था। कैग के अनुसार टेंडर राशि भी जानबूझकर पांच लाख के भीतर रखी गई। कैग ने अपनी जांच रिपोर्ट में इसे लेकर जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर कड़ी टिप्पणी की है, साथ ही विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को उचित कार्रवाई के लिए लिखा है।

17-03-2018

(7)

कैग की रिपोर्ट में खुलासा एमडीयू रोहतक में सामने आ रही भारी अनियमितताएं

काम पूरा हुए बगैर प्राइवेट कंपनी को 26 करोड़ का भुगतान

ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
चंडीगढ़, 16 मार्च

रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू) में व्यापक स्तर पर अनियमितताएं सामने आई हैं। सैकड़ों करोड़ रुपये की वित्तीय धांधलियां भी 5 वर्षों की अवधि के ऑडिट में सामने आई हैं। कैग की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। कैग टीम ने 2012-13 से 2016-17 तक के 5 वर्षों का ऑडिट किया।

कैग ने तो यहां तक टिप्पणी की है कि यूनिवर्सिटी की अनियमितताओं और खामियों ने इसकी स्थापना पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थिति यह है कि लघु और लंबी अवधि के लिए विकासकारी योजनाएं तैयार करने के लिए शैक्षिक योजना बोर्ड का गठन तक नहीं किया गया। यूनिवर्सिटी के एक्ट के तहत एक शैक्षिक आयोजना बोर्ड का गठन अनिवार्य है, जिसके वाइस-चांसलर चेयरमैन होंगे। इसके अलावा पांच शिक्षाविदों के अलावा वीसी 3 बाहरी विशेषज्ञ इसमें नामित कर सकता है लेकिन एमडीयू ने बोर्ड का गठन ही नहीं किया।

यूनिवर्सिटी कैम्पस में चल रहे पर्यटन मंत्रालय के होटल एवं पर्यटन प्रबंधन संस्थान (आईएचटीएम) के लिए जून-2011 में केंद्रीय मंत्रालय ने 2 करोड़ रुपये की ग्रांट मंजूर की थी। इसी महीने 10 लाख रुपये की पहली किस्त भी मिल गई लेकिन इसके बाद बाकी पैसा लेने के लिए कोशिश तक नहीं की गई। ऐसे में संस्थान में नये पाठ्यक्रम भी शुरू नहीं हुए।

रिसर्च के नाम पर औपचारिकता

92 रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू हुए थे, पूरे हुए 37

यूनिवर्सिटी ने रिसर्च कार्यों में कतई गंभीरता नहीं दिखाई। 92 रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किए गए। इनमें से केवल 37 ही पूरे हो पाए। 21 प्रोजेक्ट तो ऐसे थे, जिनके लिए तय समय सीमा भी पार हो गई लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया जा सका। यूनिवर्सिटी व इसके अधीन आने वाले कॉलेजों में विद्यार्थियों के उत्तीर्ण होने की संख्या भी लगातार घटती गई। 2012-13 में जहां 55 प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए थे वहीं 2015-16 में यह संख्या घटकर 41 प्रतिशत तक जा पहुंची।

रणबीर सिंह चेयर से नहीं मिले नतीजे

पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता स्व. चौ. रणबीर सिंह के नाम पर मार्च-2012 में चेयर स्थापित हुई। इसके तहत शोध कार्य होने थे लेकिन करीब 11 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी कोई नतीजे नहीं आए। मार्च-2015 में स्वास्थ्य और पर्यावरण, स्वयं-सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं का सशक्तीकरण, मानव तस्करी विरोध, उद्यमिता व कौशल विकास, ग्रामीण विकास, मानवाधिकार, ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल आदि मामलों में लघु अवधि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय भी हुआ। इसके बाद भी इस संस्थान में कोई काम नहीं हो

कम्प्यूटरीकरण में धांधली

रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी ने प्रशासन, वित्तीय, शैक्षणिक, कॉलेजों से संबद्धता व रिसर्च आदि ब्रांच का कंप्यूटरीकरण करने के लिए 2010 में काम शुरू किया। अलग-अलग कंपनियों को ठेके दिए, लेकिन ठेके देने में पारदर्शिता नहीं बरती। 14 अक्तूबर, 2013 को ठेका पूरा भी हो गया लेकिन संबंधित कंपनियों ने महाविद्यालय विकास परिषद की गतिविधियों, अनुसंधान, छात्र कल्याण (कमरा आवंटन को छोड़कर), हॉस्टल प्रबंधन, खेलकूद संबंधी मामले, स्टोर प्रबंधन आदि में कंप्यूटरीकरण का काम ही नहीं किया। यूनिवर्सिटी ने काम हुए बिना ही 26 करोड़ 31 लाख रुपये का भुगतान भी कर दिया।

हॉस्टल सिक्योरिटी डकारी

यूनिवर्सिटी प्रबंधन विद्यार्थियों की हॉस्टल सिक्योरिटी को भी डकार गया। लड़कों से 500 और लड़कियों से 250 रुपये सिक्योरिटी वसूली गई। नियमों के तहत हॉस्टल छोड़ने पर यह पैसा वापस करना होता है। 2012 से 2017 की अवधि में विद्यार्थियों से कुल 75 लाख 69 हजार रुपये सिक्योरिटी ली गई। इसमें से केवल 21 लाख 60 हजार ही वापस लौटाए गए। बाकी की सिक्योरिटी यूनिवर्सिटी ने अपने पास ही रखी। इसके लिए नियम तक नहीं बनाए गए।

c m y b

DAINIK TRIBUNE
17-03-2018

(8)

कैग टीम ने खुद करवाया सर्वे

एमडीयू में सेफ नहीं छात्राएं, 46% से छेड़छाड़

केवल 12 फीसदी ने ही दर्ज कराई शिकायत

दिनेश भारद्वाज/ट्रिन्यू
चंडीगढ़, 16 मार्च

बेटियों की सुरक्षा के मामले में रोहतक का महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय अब सुरक्षित नहीं रहा है। यहां पढ़ने वाली हर दूसरी लड़की छेड़छाड़ का शिकार होती है। यही नहीं, 50 फीसदी से अधिक लड़कियां ऐसी हैं, जो विश्वविद्यालय कैंपस में सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। यह खुलासा कैग ने अपनी रिपोर्ट में किया है।

कैग टीम ने खुद विश्वविद्यालय के स्टाफ की मदद से कैंपस सर्वे किया। सर्वे में विवि परिसर की अनियमितताओं के साथ-साथ लड़कियों के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। अलग-अलग संकायों एवं पाठ्यक्रमों के कुल 183 विद्यार्थियों पर किए गए इस सैंपल सर्वे में 132 लड़कियों और 51 लड़कों से फीडबैक लिया गया। इसके लिए प्रश्नावली दी गई। इसमें खराब, औसत, अच्छे और उत्कृष्ट के कॉलम थे। सर्वे में खुलासा हुआ कि यूनिवर्सिटी की 46 फीसदी छात्राएं छेड़छाड़ का शिकार हुई हैं। ये वे छात्राएं हैं, जिन्होंने सर्वे में इसका खुलासा किया। इनमें से केवल 12 प्रतिशत ने ही शिकायत दर्ज करवाई। 50% से अधिक लड़कियों ने माना कि यूनिवर्सिटी कैंपस में वे सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। कैग टीम ने जब यूनिवर्सिटी प्रशासन से जवाब-तलब किया तो सितंबर-2017 में यह बताया गया कि शिकायतों के निवारण के लिए एक कमेटी बनाई गई है। इसके अलावा रोहतक स्थित महिला पुलिस स्टेशन के सहयोग से 'महिला सुरक्षा तथा स्वयं रक्षा तकनीकों' पर कार्यशाला आयोजित की जा रही है। पेज 2 भी देखें

दैनिक ट्रिब्यून विशेष

यह आया सामने

- यूनिवर्सिटी के 52 प्रतिशत विद्यार्थी संतुष्ट थे, जबकि 48 प्रतिशत ने गुस्सा जाहिर किया
- 43 % की शिकायत थी कि पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ
- 57 % ही प्रशासकीय स्टाफ के व्यवहार से संतुष्ट थे
- 54 % ने प्रयोगशालाओं में सुविधाओं का अभाव बताया
- 56 % ने शिकायत निवारण प्रणाली को दोषपूर्ण बताया
- 71 % ने कहा कैंपस प्लेसमेंट के लिए कुछ नहीं किया गया

(9)

DES SEWAK
17-03-2018

ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਮਾਰਚ:ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਕੈਗ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸੈਕਟਰ-33 ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ(ਆਡਿਟ) ਹਰਿਆਣਾ ਮਹੂਆ ਪਾਲ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰੇ ਕੈਗ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਥਿਤ ਮਹਾਂਰਿਸ਼ੀ ਦਿਆਨੰਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਆਡਿਟ 'ਚ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੋ ਕਿ 1976 'ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਕਮੀਆਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਮਾਨਵਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਜਮਾਤਾਂ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਕਾਸਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਐਫਡੀ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ 51. 71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਆਜ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੋਈ, ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆਂ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰਾਰ ਤੋਂ 26.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 18 ਤੋਂ 26 ਫੀਸਦ ਪੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, 92 ਯੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਅਧੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਚੋਂ 21 ਦੇ ਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਰੀਕ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਜੋ ਕਿ 2012-13 'ਚ 55 ਫੀਸਦ ਸੀ 2015-16 'ਚ ਘੱਟ ਕੇ 41 ਫੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ।

DAINIK JAGRAN 17-03-2018 (10)

कैग रिपोर्ट में खुलासा : अनियमितताओं पर घिरा मदवि, शिक्षा का स्तर बिगड़ा

Publish Date:Sat, 17 Mar 2018 01:18 PM (IST)

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में कई अनियमितता का खुलासा किया है।

चंडीगढ़, [सुधीर तंवर]। कैग की रिपोर्ट से दक्षिण हरियाणा के दस जिलों में सरकारी और निजी कॉलेजों की जिम्मेदारी संभाल रही महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। पांच साल के दौरान शिक्षा का स्तर गिरने से न केवल फेल होने वाले विद्यार्थियों का ग्राफ बढ़ा, बल्कि कई मोर्चों पर वित्तीय अनियमितताओं से सरकार को करोड़ों रुपये का चूना लगा।

पांच साल में पास होने वाले छात्रों की संख्या 14 फीसद घटी, वित्तीय गोलमाल से सरकार को करोड़ों की चपत

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यूनिवर्सिटी की खामियों को बिंदुवार उजागर किया। यूनिवर्सिटी के कंप्यूटरीकरण कार्य में चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए 26.31 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान कर दिया। इसके बावजूद कंप्यूटरीकरण का काम अधूरा है और पूरी दाखिला प्रक्रिया सहित अन्य जरूरी काम मैन्युअल किए जा रहे हैं। जिस कंपनी को ठेका दिया गया, वह काम अधूरा छोड़ कर भाग गई।

यह भी पढ़ें

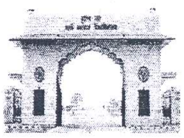

मदवि में प्राध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया पर हाई कोर्ट की रोक

कैग के मुताबिक, मदवि के छात्रों का पास होने के आंकड़े लगातार कम हो रहे हैं। पांच साल में 14 फीसद रिजल्ट कम हो गया। वर्ष 2012-13 में जहां 55 फीसद छात्र पास हुए, वहीं 2015-16 में यह संख्या 41 फीसद रह गई। इसी तरह दूरस्थ शिक्षा में क्रेज घटने से विद्यार्थियों की संख्या एक लाख दस हजार से घट कर 71 हजार पर सिमट गई।

यह भी पढ़ें: हरियाणा में 454 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के प्रस्ताव खारिज

कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि गिरते रिजल्ट के लिए काफी हद तक स्टाफ की कमी भी जिम्मेदार है। यहां केवल 404 नियमित शिक्षक हैं, जबकि 200 शिक्षकों की और जरूरत है। कैग रिपोर्ट के मुताबिक विवि में नियमित शिक्षकों के एक चौथाई और स्वयं वित्त पोषित योजना के तहत 52 से 55 फीसद पद रिक्त हैं। नॉन टीचिंग स्टाफ का भी यही हाल है।

यह भी पढ़ें

सरकारी नैतिकता का पाठ 'फेल', शिक्षा के नाम पर अवैध वसूली का 'खेल'

चौधरी रण[illegible]स्थान और महिला हॉस्टल बने सफेद हाथी

कैग के अनुसार, विश्वविद्यालय परिसर में बना चौधरी रणबीर सिंह सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन संस्थान उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। विकास व शोध कार्यों के लिए 10.98 करोड़ रुपये में निर्मित इस केंद्र में नेट, यूजीसी, एसएससी, जेआरएफ सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए युवाओं को तैयार करना था, लेकिन विद्यार्थियों ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। यही हाल नौकरीपेशा महिलाओं के लिए डेढ़ करोड़ रुपये में निर्मित महिला हॉस्टल का है जिसमें कभी 11 से अधिक महिलाएं नहीं रहीं।

छात्रों को नहीं दिए सिक्योरिटी मनी के 54 लाख

कैग के मुताबिक, विवि में दाखिले के समय से छात्रों से पांच सौ तो छात्राओं से 250 रुपये की हॉस्टल सिक्योरिटी ली जाती है। विवि छोड़ने पर यह राशि छात्र को वापस देनी होती है, लेकिन विवि पर छात्रों का पांच साल के 54 लाख रुपये बकाया हैं। वहीं, मदवि में विभिन्न योजनाओं के तहत मंजूर 92 अनुसंधान प्रोजेक्ट में से 37 ही पूरे हो पाए। शिक्षक यह अनुसंधान प्रोजेक्ट लाते हैं जिन पर शोधार्थी काम करते हैं। इसके लिए उन्हें 30 से 40 हजार रुपये मिलते हैं, लेकिन असल में सारा पैसा प्रोजेक्ट लाने वाला ही हजम कर जाता है। अधूरे प्रोजेक्ट में से 21 की समय सीमा कब की बीत चुकी।

यह भी पढ़ें: हरियाणा सरकार अपने कर्मचारियों से पूछ रही जाति, नहीं बताया तो अब लेगी एक्शन

बचत का पैसा सावधि जमाओं में नहीं रखने से 52 लाख का नुकसान

कैग ने विकासकारी योजनाओं को तैयार करने के लिए मदवि द्वारा शैक्षिक बोर्ड का गठन नहीं करने पर आपत्ति जताई। बकाया धन को सावधि जमा में निवेश न करने से 51.71 लाख के ब्याज की हानि हुई। इसके अलावा अस्थायी अग्रिम के 11.18 करोड़

रुपये असमायोजित हैं। इसी तरह प्रिंटिंग प्रेस का दक्षता से कम उपयोग हुआ जिससे साढ़े चार करोड़ का नुकसान हुआ।

DAINIK JAGRAN 18-03-2018 (2)

कैग के खुलासे पर सीबीआइ जांच करवाए सरकार : दुष्यंत चौटाला

Publish Date:Sun, 18 Mar 2018 01:39 PM (IST)

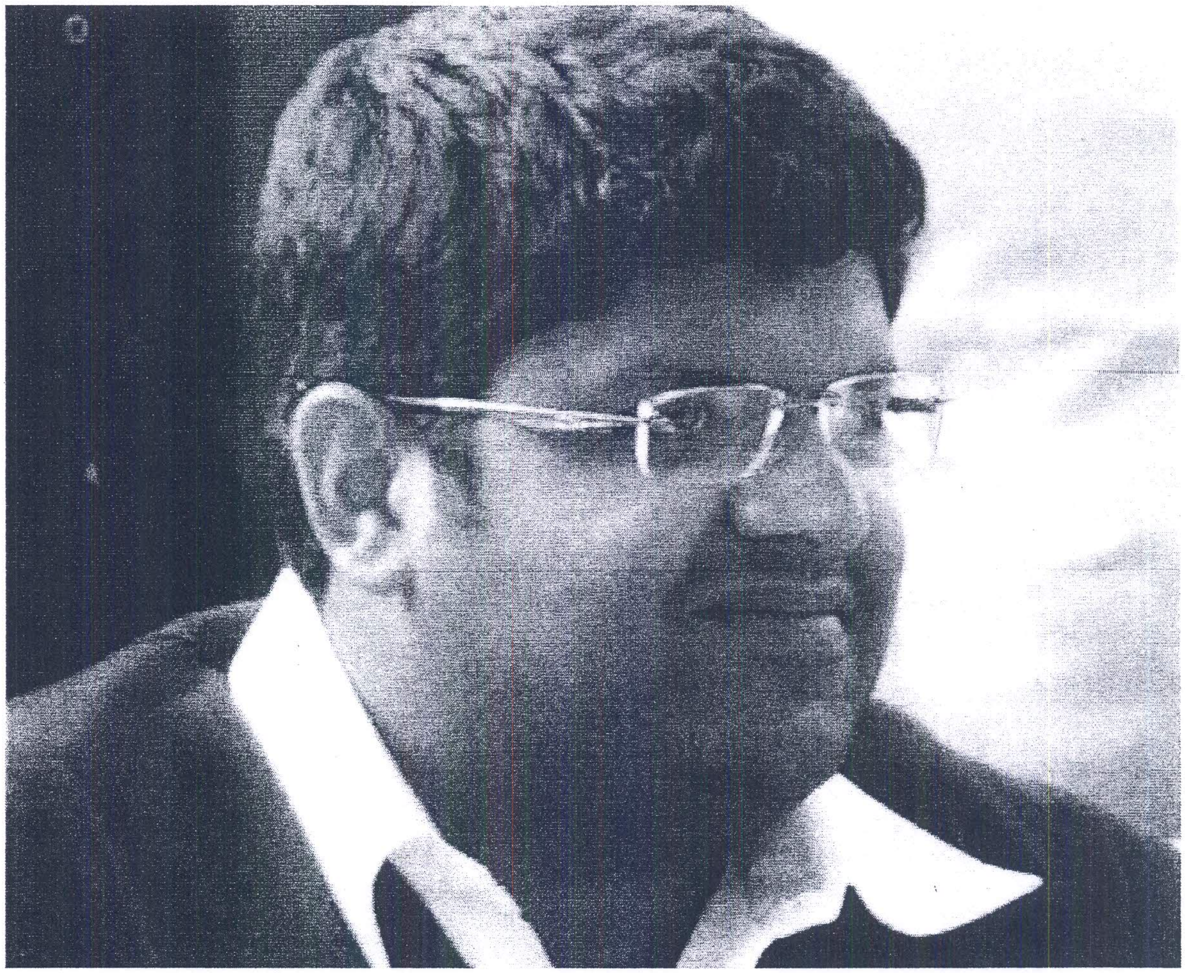

हिसार के सांसद दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि कैग की रिपोर्ट से करोड़ों का घोटाला हुआ है। आरटीआइ और दूसरे सबूतों को मुख्यमंत्री के सामने रखते हुए सीबीआइ जांच की मांग करेंगे।

जागरण संवाददाता, सिरसा। हिसार के सांसद दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि कैग की रिपोर्ट से करोड़ों का घोटाला हुआ है। आरटीआइ और दूसरे सबूतों को मुख्यमंत्री के सामने रखते हुए सीबीआइ जांच की मांग करेंगे। क्योंकि इस घोटाले में सरकार से संबंधित कई लोग शामिल हैं। वे डबवाली रोड पर प्रतिपक्ष नेता अभय सिंह चौटाला के आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

सांसद ने कहा कि कैग ने हरियाणा में एक बड़े घोटाले का उल्लेख किया है। जिसमें सीधे तौर पर सरकार से जुड़े लोगों पर उंगली उठी है। इसलिए वे इस मामले की सीबीआइ जांच की मांग मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे। प्रदेश के हर जिले में घोटाला हुआ है। पूर्व में शासन के शीर्ष नेता कहते रहे कि न खाउंगा न खाने दूंगा, लेकिन रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अपने चहेतों को खिलाया और खाया भी उनकी पार्टी के लोगों ने।

उन्होंने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार के उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं उसमें क्षेत्रीय दलों की महत्वपूर्ण भूमिका सामने आई है। वर्ष 2019 में क्षेत्रीय दल मिलकर केंद्र में सरकार बना सकते हैं। सांसद ने कहा कि जिस प्रकार तेलगुदेशम पार्टी और वाइएसआर कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सदन में रखा उससे मोदी सरकार मिजोरिटी से बैकपुट पर आ गई है।

यह भी पढ़ें

जागरण

सोशल मीडिया पर सक्रिय युवाओं के साथ दुष्यंत ने की राजनीतिक चर्चा

सांसद ने कहा कि प्रदेश सरकार सरसों की बिक्री के लिए फर्द और फर्द पर पटवारी के हस्ताक्षर जैसी शर्तें लगा रही हैं जिससे किसान परेशान है। कुछ ही समय में गेहूं की खरीद में भी ऐसी शर्तें लगा सकते हैं। उनकी सरकार से मांग है कि किसान की सरसों व गेहूं का एक-एक दाना बगैर परेशान किए खरीदा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में जिन लोगों ने अनमोल भूमियों को कौड़ियों के भाव खरीदकर लाभ कमाया है उनके खिलाफ सीबीआइ जांच शुरू हो गई है।

इससे पूर्व उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इनेलो ने प्रदेश के हितों के लिए हमेशा आंदोलन चलाया है। एसवाइएल हरियाणा की लाइफ लाइन है। उन्होंने कहा कि इनेलो ही प्रदेश के हितों के लिए लड़ाई लड़ रही है और आने वाला वक्त इनेलो का है। इनेलो की सरकार आने के बाद फिर से विकास कार्यों को तेज किया जाएगा। युवाओं को रोजगार देंगे, किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने का काम किया जाएगा।

(3)

DAINIK JAGRAN
18-03-2018

जागरण चंडीगढ़, 18 मार्च 2018 दैनिक जागरण

टैक्स चोरों पर अफसर मेहरबान, कर वसूली में खेल

सुधीर तंवर • चंडीगढ़

हरियाणा के सरकारी विभागों में कर वसूली के नाम पर खूब खेल चल रहा है। विभिन्न विभागों के अफसरों ने व्यापारियों, उद्योगपतियों, बिल्डरों और ट्रांसपोर्टरों से मिलीभगत कर उन्हें करीब 1700 करोड़ का फायदा पहुंचाया। इस राशि में से मोटी रकम कुछ अधिकारियों की जेब में जाने से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने अपनी ताजा रिपोर्ट में राजस्व विभाग, आबकारी एवं कराधान विभाग और परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर खूब सवाल उठाए हैं। अकेले मूल्य वर्धित कर (वैट) में रियायत के नाम पर ही व्यापारियों को करीब 518 करोड़ रुपये का फायदा पहुंचाया गया। कर निर्धारण प्राधिकारियों ने अवैध सी, ई-1, एफ और एच घोषणा फार्मों के विरुद्ध बिक्री पर गलत छूट दी। इसी तरह वैट डी-1 और डी-2 फार्मों के दुरुपयोग के बदले व्यापारियों पर लगाई 262 करोड़ की पेनल्टी वसूलना भी अफसर भूल गए।

बिक्री कर, उत्पाद शुल्क और स्टांप शुल्क में 200 करोड़ का गोलमाल : कैग के मुताबिक व्यापारियों और बिल्डरों से मिलीभगत कर अफसरों ने सरकार को करीब 200 करोड़ की चपत लगाई। बिक्री कर में रियायत दे व्यापारियों को करीब 122 करोड़ का फायदा पहुंचाया गया। 108 अपंजीकृत ठेकेदारों और 28 डीलरों को पकड़ने के बावजूद करीब पचास करोड़ की पेनल्टी छोड़ दी।

इसके अलावा कई मामलों में गलत गणना कर व्यापारियों को करोड़ों का लाभ पहुंचाया। राजस्व विभाग ने जमीन की खरीद-फरोख्त के मामलों में बिल्डरों को फायदा पहुंचाते हुए स्टांप शुल्क के 67 करोड़ रुपये छोड़ दिए।

परिवहन विभाग भी कठघरे में

धांधलियों के चलते सरकार के निशाने पर रहे परिवहन विभाग पर कैग ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। वाहनों के पंजीकरण, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट फीस, लाइसेंस फीस, यात्री एवं माल कर के निर्धारण में फर्जीवाड़ा कर चहेतों को करीब सवा करोड़ का फायदा पहुंचाया गया। 619 ट्रांसपोर्टरों ने दो साल तक माल कर ही जमा नहीं कराया और करीब 47 लाख रुपये हजम कर गए। 742 ट्रांसपोर्टरों ने वर्ष 2015-16 में टोकन टैक्स जमा नहीं कराया जिससे महकमे को 17 लाख रुपये का नुकसान हुआ।

व्यापारी-उद्योगपतियों, बिल्डरों और ट्रांसपोर्टरों से मिलीभगत कर 1700 करोड़ का फर्जीवाड़ा, वैट के 518 करोड़ रुपये छोड़े

ईंट-भट्ठा मालिक निरंकुश

रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में चल रहे ईंट-भट्ठों के मालिकों पर विभाग का कोई अंकुश नहीं। चार जिलों में अप्रैल 2014 से मार्च 2017 के बीच जिन ईंट-भट्ठा संचालकों को परमिट जारी किए गए थे, उनमें से 67 लोग खदान एवं भू-विज्ञान विभाग के 37 लाख रुपये दबाए बैठे हैं। मनोरंजन कर और बिजली टैक्स में भी 36 करोड़ की वसूली अटकी पड़ी है।

(328) AMAR UJALA 19-03-2018 (1)

जेलों से पैरोल पर छूटे और फरार हो गए 45 खूंखार अपराधी

मोहित धुपड़
चंडीगढ़।

हरियाणा की आठ जेलों से पैरोल पर गए कैदियों में से 45 खूंखार कैदी ऐसे हैं, जो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ये वो कैदी है जो हत्या, दुराचार, अपहरण, लूट, डकैती, नशा व नशीली दवाओं की जैसे संगीन अपराधों में संलिप्त हैं। इन खतरनाक कैदियों के फरार होने को लेकर हरियाणा पुलिस बेहद चिंतित है और इनकी धरपकड़ के लगातार प्रयास कर रही है। हालांकि

हत्या, दुराचार, अपहरण, लूट, डकैती, नशा तस्करी जैसे संगीन अपराधों में संलिप्त हैं कैदी

फरार हुए इन खतरनाक कैदियों की संख्या 48 थी, लेकिन इनमें से 3 कैदियों की मौत हो चुकी है।

इस बात का खुलासा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में हुआ है। इससे हरियाणा सरकार अवगत करवा दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार अंबाला सेंट्रल जेल से 851 कैदियों को पेरोल पर छोड़ा गया। इनमें से 847 तो लौट आए, 4 वापस नहीं लौटे, एक गिरफ्तार कर लिया गया है, 3 खूंखार कैदी फरार है, जिसमें से एक की मौत हो चुकी है। गुरुग्राम जेल से 1967 कैदियों को पैरोल पर छोड़ा गया, 1901 कैदी वापस लौट गए, 66 नहीं लौटे, 31 गिरफ्तार किए, 25 ने सरेंडर कर दिया, 10 खूंखार कैदी अभी भी फरार है।

हिसार-वन जेल से 3215 कैदियों को पैरोल पर छोड़ा गया, 3172 कैदी वापस लौटे, 43 नहीं लौटे, इनमें से 36 तो काबू कर लिए गए, लेकिन 7 खूंखार कैदियों का आज तक मालूम नहीं। हिसार-टू जेल से 330 कैदी पैरोल पर छोड़े गए, 329 लौट आए, जबकि 1 को गिरफ्तार कर लाना पड़ा। करनाल जेल से 2794 कैदियों को जेल से छोड़ा गया, 2718 लौट आए, न लौटने वाले 76 में से 12 काबू कर लिए, 40 ने सरेंडर कर दिया। मगर 22 खूंखार कैदी आज भी फरार है, जिसमें से 2 की मौत हो चुकी है।

नारनौल जेल से 835 कैदी छोड़े गए। 830 वापस लौट आए, जबकि वापस न लौटने वाले 5 कैदियों को पुलिस ने काबू कर लिया है। रोहतक जेल से 1327 कैदी पैरोल पर छूटे, 1311 तो वापस लौटे। न लौटने वाले 16 में से 8 ने सरेंडर किया, 3 पुलिस ने पकड़ लिए, मगर 5 खूंखार कैदियों का आज भी मालूम नहीं। सिरसा जेल से 1389 कैदी पेरोल पर गए 1382 लौट आए, 7 नहीं लौटे, 2 काबू कर लिए गए, 3 ने सरेंडर किया, 2 खतरनाक कैदी आज भी फरार हैं।

जब्त नहीं की फरार कैदियों की जमानत राशि

नियमानुसार इन फरार हुए कैदियों के श्योरिटी बांड (जमानत पत्र) को अभी तक जब्त कर लेना चाहिए था। देखा जाए तो विभिन्न जिलों से फरार हुए इन खूंखार कैदियों के श्योरिटी बांड 3.91 करोड़ राशि के बनती हैं। इन्हें अभी तक जब्त कर लेना चाहिए था। लेकिन अप्रैल 2017 तक इस राशि को जब्त नहीं किया गया था। इस श्योरिटी के बांड के बाद ही कैदियों को पैरोल पर बाहर छोड़ा जाता है।

TIMES OF INDIA 21-03-2018 (39)

THE TIMES OF INDIA, CHANDIGARH
WEDNESDAY, MARCH 21, 2018

1,800 indl plots worth ₹4k cr lying vacant: CAG report

Manvir.Saini@timesgroup.com

Chandigarh: Comptroller Auditor General (CAG) report has exposed the truth behind government's claims of industrial investments in Haryana. According to it, as many as 1,800 plots are lying vacant in the industrial estates of Haryana State Industrial and Infrastructure Corporation Limited (HSIIDC).

CAG had submitted the report to Haryana assembly during the budget session which concluded last week.

The report said the unsold inventory of industrial plots had blocked the revenue worth over Rs 4,000 crore. The CAG report also highlighted how the change of guard and change of industrial policy, added with slowdown of economy, had an impact on industrialization, which led to negative growth of inventory in the state.

IMPACT | The report also highlights how the change of guard and change of industrial policy, added with slowdown of economy, had an impact on industrialization

CAG slammed HSIIDC for failing to recover Rs 1,871 crore from occupants and owners of industrial plots. The report also highlighted how the number of allottees surrendering industrial plots had increased.

According to the report, 281 industrial plots were allotted in 2012, out of which 20 allottees had surrendered their plots and 19 allotments were resumed. In 2016-17, 150 out of 400 allottees had surrendered their plots while 11 plots were resumed by the authorities.

When contacted, HSIIDC officials said the poor performance due to slowdown added by certain local issues. "Allotments in 2015-16 could not be done due to change in the estate management procedure (ESM). The inventory remained unallotted due to increased rates. Similar was the case with surrendering of industrial plots," HSIIDC officials had told CAG.

When contacted, Congress spokesperson and former chief parliamentary secretary Ran Singh Maan termed the poor industrial growth to deteriorating law and order situation and lack of agenda in Haryana. "This government could only resort to jumlebaazi. Does this report give any reflection of Rs 5 lakh crore investment in Haryana," said Maan.

INLD's trader cell chief Kulbhushan Goyal also flayed the negative industrial growth in the state as pointed out by the CAG report. "Given the rigidness of HSIIDC and the stand taken by the state government, the situation has become from bad to worse for entrepreneurs. The industry is forced to migrate to other states now," he said.

253

HSIIDC acquired 7,542 acres, land lying unused: CAG

SUSHIL MANAV
TRIBUNE NEWS SERVICE

CHANDIGARH, MARCH 20

The Haryana Industrial and Infrastructure Development Corporation (HSIIDC) did not prepare a plan for acquisition and development of land, and continued acquiring land on credit without assessing market conditions.

The company acquired 7,542.76 acres worth Rs 4,437 crore between January 2006 and August 2013, but the land is yet to be developed.

A CAG report on the performance audit of the HSIIDC has brought out that the corporation incurred Rs 883.36 crore more on land acquisition due to delay in filling of appeals in court, non-compliance of the Land Acquisition Act and overvaluation of trees.

The report points out another irregularity. It says 1,843 plots spread over 43.71 lakh square meters having a sale value of Rs 4,437.88 crore have been lying unsold.

The HSIIDC has neither prepared its works manual nor adopted the Haryana PWD Code, resulting in lack of transparency and uniformity in the award of works.

A contractor delayed completing works and non-recovery or short recovery of liquidated damages. The percentage of recovery of plot cost decreased from 92 in 2014-15 to 78 in 2016-17, while enhancement cost reduced from 43 per cent to 12 per cent in the same period.

The CAG report says there were deficiencies in the internal control system of the company due to non-reconciliation of payments made to Land Acquisition Collectors, non-maintenance of consolidated records of land encroachments and non-implementation of e-governance project for generation of management information system (MIS) reports.

The Tribune Wed, 21 March 2018
epaper.tribuneindia.com//c/2